जन सुनवाई का कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित **चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र– 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–3.00 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, सरासनी एवं सोमणा, तहसील– डेह एवं नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है, चूना पत्थर खनन** की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलेक्टर, नागौर के प्रतिनिधि श्री चम्पालाल जीनगर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर की अध्यक्षता में एवं श्री राजकुमार मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर की उपस्थिति में **राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील– नागौर, जिला नागौर** में **दिनांक 06/02/2026 को सायं 04:00 बजे** आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियो का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति समाचार पत्र **"दैनिक भास्कर" एवं "राजस्थान पत्रिका" में दिनांक "01/01/2026"** को प्रकाशित करवाई गई थी, जिनकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर सलंग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्ड़ल, नागौर ने सभी आगुन्तकों का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, नागौर द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसमें जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MoEF&CC), नई दिल्ली को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स जे.एम. एनवायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड** को आंमत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **मैसर्स जे.एम. एनवायरोनेट प्राईवेट लिमिटेड** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना **निकट गांव– हरीमा, सरासनी एवं सोमणा, तहसील– डेह एवं नागौर, जिला– नागौर (राज.)** में खनिज– **चूना–पत्थर खनन** हेतु प्रस्तावित है, जिसका **ब्लॉक नंबर– HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र– 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–3.00 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, सरासनी एवं सोमणा, तहसील– डेह एवं नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है, चूना पत्थर खनन** परियोजना है। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारें में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया।

सर्वप्रथम श्री शैलेन्द्र सिंह, ग्राम सरासनी ने कहा कि जैसा कि हम सभी इस बात से अवगत है कि आज यहां अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कि पर्यावरण स्वीकृति संबंधित जनसुनवाई है। मेरा निवेदन यह है की जनसुनवाई तो सभी करते हैं, परंतु सुनवाई के साथ–साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। बात करते हैं पर्यावरण स्वीकृति की तो यहां कंपनियां लगेगी, तो जब कंपनियां लगेगी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

तो नुकसान तो बिल्कुल होगा। इसी नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा यह मीटिंग रखी गई है, तो इसमें पर्यावरण को कौन–कौन से नुकसान होंगे? इससे पेड़–पौधों को नुकसान होगा, जिसमें सभी लोग आ जायेंगे। खनन क्षेत्र में आने वाले सभी पेड़ों को कंपनियों द्वारा तुरंत ही काटा जाता है एवं पौधे भी इस वक्त लगाए जाते हैं। मेरा निवेदन यही है कि आप गांव में 5 लाख पौधे ना लगाकर केवल 1 लाख पौधे ही लगाये, लेकिन उन्हें पेड़ बना कर देवें। 3 साल तक का रखरखाव हेतु आदमी एवं पानी की सुविधा देंवे। पहले पेड़ काटकर उसी के बदले पौधे देते हो, यह गलत है। कंपनी द्वारा जब पेड़ काटे जाएंगे तो उससे बारिश की भी कमी आएगी, गांव के तालाब का सौंदर्यकरण करवाये तथा गांव में एक पानी की टंकी की व्यवस्था की जाये। साथ ही असमर्थ परिवारों के घरों में टांका निर्माण कार्य करवाया जाये। क्षेत्र में खेजड़ी का उपयोग खेती के रूप में भी किया जाता है क्योंकि इससे लूंग एवं सांगरी प्राप्त होती है, जिससे बहुत आय होती है। इसलिए किसान को जमीन के साथ–साथ खेजड़ी का भी मुआवजा दिया जाये। सरासनी गांव चारों तरफ से कंपनियों से गिर चुका है, जिससे क्षेत्र के पशु भी प्रभावित होंगे, वह कहां जाएंगे? गांव के गौशाला की भी स्थिति अच्छी नहीं है, जब बारिश आती है तो आधी गायें पानी में रहती है। अतः कंपनी जमीन खरीद कर गायों एवं पशुओं के लिए एक गौशाला का निर्माण करें। खनन के दौरान जो धूल मिट्टी उड़ेगी, उससे आसपास की मृदा भी खराब होगी, जिससे जमीन की उपजाऊ क्षमता कम होगी, चुंकि क्षेत्र के ज्यादातर लोग कृषि पर आधारित हैं, उन्हें तकनीकी ज्ञान दिया जाए एवं अंबुजा भी बाहर से नई–नई तकनीक लाकर गांव में कैंप के माध्यम से खेती को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ाये। इस बार भी देखा गया कि तापमान बहुत अधिक गया एवं बारिश बहुत कम हुई। गांव में ग्रीन बेल्ट डेवलप करके अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाये। सरासनी के चारों तरफ कम्पनी है, तो गांव के चारों तरफ पेड़–पौधें लगाये। शमशान भूमि का भी सौंदर्यकरण करवा कर ब्लॉक का काम किया जाये एवं साथ में साफ–सफाई भी करवाई जाये। गांव के युवाओं के लिए अंबुजा कंपनी अपनी जमीन खरीद कर खेल मैदान का निर्माण करवाये एवं इस स्कूल में एक बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण किया जाए तथा इसी स्कूल के अंदर एक टांके की भी व्यवस्था की जाये। बच्चों को खेल किट वितरण करें। गांव के युवाओ को आगे बढ़ाने के लिए खेल मैदान एवं ओपन जीम बनाया जाये, जिससे युवा नशे की प्रवृति से दूर रहकर खेल में व्यस्त हो। शिक्षा के विकास हेतु गांव में लाईब्रेरी बनाई जाये, जिससे युवा प्रगृति कर सकें। चाहें तो

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

इस कम्पनी में लगे या बड़े प्रशासनिक अधिकारी बने। जब रोजगार के लिए कम्पनी में जाते है तो स्किल की कमी आती है, क्योंकि यहां युवा बी.ए., बी.एड. तक ही पढ़ें लिखे है, इसलिए कम्पनी क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास करवा कर रोजगार उपलब्ध करवाये। 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। क्षेत्र का व्यक्ति जब कम्पनी से रोजगार के मांगने जाता है तो कम्पनी वालों का जवाब होता है कि 70 किलोमीटर की रैंज से बाहर का होगा तभी रोजगार दिया जायेगा। एक तरफ बात करते है कि कम्पनियां आयेगी तो रोजगार देगी, लेकिन दूसरी तरफ यह बोलते है कि 70 किलोमीटर तक के आदमी को अन्दर नहीं आने देंगे। साथ ही गांव की सभी लिंक सड़कों सरासनी–खेतोलाव, सरासनी–डेह, सरासनी–हरीमा आदि का कम्पनी निर्माण करवाये। खनन से प्रदूषण होगा तथा इससे क्षेत्र के लोग भी बीमार होंगे, तो चिकित्सालय में भी अच्छी सुविधाऐं करवाये एवं कम्पनी अपने स्तर पर या सरकार के साथ मिल कर अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति यहां करवाये। जमीन को लेकर बात करे तो देखा गया है कि एससी–एसटी की जमीन को बहुत देरी से ली जाती है, तो उनका पहले ही प्रावधान कर लेवें। साथ ही मुआवजा राशि सभी को एक समान दी जाये, इसके कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप बोलते है कि किसानों की जमीन जबरदस्ती नहीं ले सकते, तो कम्पनी किसानों को नोटिस क्यों देती है? यहां दो प्रकार की जमीन होती है, सिंचित एवं असिंचित। आज अगर किसान केसीसी लेने गया तो सरकार का भी प्रावधान होता है कि सिंचित एवं असिंचित की अलग रेट होती है। तो कम्पनी भी इसी प्रकार से सिंचित जमीन को अधिक मुआवजा देवें। गांव के बाहर की तरफ स्थित जोगियों की ढ़ाणी भी माईनिंग एरिया में आ रही है, तो हमारी मांग है कि कम्पनी इनके अन्य स्थान पर घर बना कर देवें। साथ ही गांव की जितनी भी ढ़ाणियां है, उनमें स्ट्रीट लाईटें लगाई जाये एवं पानी की भी व्यवस्था की जायें।

एडीएम महोदय ने कहा कि युवा साथी ने काफी प्रश्न पूछे है, आगे और कोई अपनी बात रखना चाहे तो अपनी बात रखें।

श्री मनोज कुमार, प्रधानाचार्य, स्थानीय विद्यालय ने कहा कि अंबुजा सीमेंट से निवेदन करता हूं कि सीएसआर एवं सीईआर फण्ड इस विद्यालय में गांव के विकास हेतु लगाये। जिसके लिए हमारी निम्न मांगे हैं: कक्षा 1 से आठवीं तक के छोटे बच्चों के भोजन के लिए विद्यालय के पीछे की तरफ एक पक्की भोजनशाला का निर्माण करवाये, जिससे बच्चे व्यवस्थित ढंग से बैठकर विद्यालय के साथ

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर(राज.)

अध्ययन एवं अध्यापन कर सके। विद्यालय का पूरा मैदान कच्चा है जिसमें इंटर ब्लॉक लगाये। विद्यालय में निर्मित मंच बिना टीनशैड का है, प्रार्थना स्थल के लिए पक्के टीनशैड का निर्माण किया जाये। स्कूल में पार्किंग व्यवस्था ना होने के कारण 4–4 किलोमीटर दूर तक से आने वाले बच्चों की साइकिल धूप में पंचर हो जाती हैं, उसके लिए स्कूल में साइकिल स्टैंड एवं पार्किंग व्यवस्था की जाये। गांव के युवाओं के लिए खेल के लिए इस स्कूल में पक्के बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण किया जाये एवं विद्यालय के लिए अलग से भूमि आवंटन करके स्टेडियम का निर्माण करवाया जाये, जिससे यहां के बच्चे उच्च शिक्षा के साथ–साथ खेल जगत में भी नाम रोशन कर सके। इस स्कूल में छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप का गार्डन नहीं है, अतः प्ले ग्रुप गार्डन के लिए फिसलपट्टी, झूले एवं विभिन्न प्रकार के व्यायाम के साधन उपलब्ध करवाया जाये। स्कूल में प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए फर्नीचर उपलब्ध करवाये। इस गांव के नौजवान एवं विद्वान विद्यार्थियों के लिए गांव के बीच में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोलने की व्यवस्था करें, जिससे गांव के लड़के एवं लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त करके आपकी ही कम्पनी में उच्च पदों तक पहुंच सके। इस स्कूल में भूगोल एवं विज्ञान की प्रयोगशाला खोलकर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। स्कूल की छात्रों के लिए पृथक टॉयलेट, वेंडिंग मशीन एवं इंसीनरेटर मशीन की व्यवस्था की जाये। उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद ग्रामीण परिवेश के बच्चे घर पर ही बैठे रह जाते हैं, इनके लिए गांव में ही एक आईटीआई सेंटर खोले एवं उसमें इलेक्ट्रीशियन, वेंडर एवं फीडर का पद निर्धारित करें, ताकि बच्चे यहां से प्रशिक्षण करके आपकी ही कंपनी में रोजगार प्राप्त कर सकें। मेधावी विद्यार्थियों के लिए, जो 90 प्रतिशत से अधिक अंक वाले हैं, उनके लिए डॉक्टरी एवं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए 1 साल की कोचिंग निशुल्क की जाये। सीएसआर फंड इस विद्यालय एवं गांव से बाहर उपयोग में नहीं जाना चाहिए। कंपनी द्वारा केवल सड़क के पास पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि गांव में कहीं पर भी ऐसे पेड़ पौधे नहीं लगे हैं जो अलग से दिखे है, केवल नीम एवं बबुल ही पर्यावरण के हित में नहीं है इसके अलावा फूल पत्ती एवं फलदार पौधे भी लगाई जाये। किसानों को उन्नत खेती करने के लिए ट्रेनिंग दी जाये, जिससे किसान उन्नत खेती करके इस गांव का नाम रोशन कर सके एवं आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके।

श्री नृसिंहराम, व्याख्याता, ग्राम सोमणा ने कहा कि ब्लॉक HPB-20, हमारे गांव सोमणा में भी आता है। गांव सोमणा में विकास की अपेक्षा के साथ गांव की

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

कुछ मांगे हैं– गांव के सार्वजनिक तालाब में बड़े–बड़े पत्थर हैं, जिसके कारण पानी रुकता नहीं है एवं सुख जाता है। खुदाई करके उन पत्थरों को निकालने की कम्पनी द्वारा व्यवस्था की जाये। बच्चों के खेलने के लिए एक अच्छा खेल मैदान बनाया जाये। गांव में सार्वजनिक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाये, जिससे स्व अध्ययन करने वाले बच्चें आसानी से पढ़ सके। कोऑपरेटिव सोसाइटी में पानी का हौद बनाया जाए। सार्वजनिक सामुदायिक भवन में पानी का होद एवं शौचालय निर्माण करवाया जाये। कच्चे सार्वजनिक रास्तों पर खुर्रा निर्माण करवाया जाए। गांव में सार्वजनिक रास्तों पर लाइट लगाई जाए। खनन से होने वाली पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए गांव में वृक्षारोपण कर उनका सौंदर्यकरण किया जाए। खनन क्षेत्र एवं आसपास के गांव में वर्षा जल संचयन एवं जल संरक्षण के कार्य किया जाए। गांव में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु योजना लाई जाए।

श्री दिनेश बाज्या, ग्राम खेतोलाव, ग्राम पंचायत गगवाना ने कहा कि श्रीमान जी ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास, तीनों गांवों को कंपनी के द्वारा कोर विलेज में सम्मिलित किया जाए, ताकि गांव का विकास हो सके। ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव की 80 प्रतिशत आबादी आज भी खुले में शौच करती है, अतः आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाया जाए। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी का मुख्य स्रोत तालाब है, अभी कंपनी द्वारा तालाब का नक्शा बताया गया। जबकि छाप्पर तालाब के सटा हुआ हनुमान सागर तालाब है, जो खेतोलाव का मुख्य तालाब है, जो अभी कंपनी के नक्शे में ही नहीं है। अतः कंपनी पुनः सर्वे करवाकर हनुमान सागर तालाब को सम्मिलित कर उसका पुनर्निर्माण करें। ग्राम पंचायत गगवाना के तीनों गांव के मूल निवासियों को कंपनी में प्राथमिक आधार पर रोजगार दिया जाए। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायत के समस्त गांवों की सड़कों के दोनों तरफ, तालाबों में, विद्यालयों एवं गौचर भूमि पर अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण मय सुरक्षा किया जाए, साथ ही इनका रखरखाव कंपनी कम से कम तीन वर्ष के लिए करें एवं इसका पूरा खर्च वहन करें। ग्राम पंचायत गगवाना के समस्त गांवों के समस्त विद्यालयों के विकास हेतु कमरों का निर्माण, टेबल कुर्सी, जिन विद्यालयों के चार दिवारी नहीं है, उनके चार दिवारी का निर्माण करवाये। विद्यालयों में पानी बिजली की समुचित व्यवस्था करवाये एवं ऑफिशियल कार्य हेतु टेबल कुर्सी व अलमारी की व्यवस्था करवाये। मिड डे मील के रखरखाव हेतु अलग से स्टोर का निर्माण कराये। किचन स्लैब, बर्तन जैसी जरूरतमंद उपयोगी व्यवस्थाएं करवाये।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

साथ ही क्लासरूम को डिजिटल क्लासरूम बनाया जाए। विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को आवंटित खेलकूद के मैदानों को विकसित करवाना तथा खेलकूद मैदानों के चार दिवारी का निर्माण करवाना। ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव की कुल आबादी 1500 से अधिक है जो मजदूरी पर निर्भर हैं, प्राथमिक उपचार हेतु ग्राम वासियों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है, अतः आपसे निवेदन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम खेतोलाव में खोला जाए तथा नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करें तथा कंपनी अपने स्तर पर वहां एएनएम की व्यवस्था करवाये। ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम गगवाना, खेतोलाव व सूरजनियावास के मुख्य स्थानों पर हाई मास्क लाइट लगाई जाए। ग्राम पंचायत के तीनों गांवों में सिवरेज लाइन डालने का कार्य किया जाए। ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव, सुरजनियावास व गगवाना के मुख्यालय पर एक–एक पार्क विकसित किया जाए एवं उसमें युवाओं के दौड़ने के लिए ट्रैक व जिम सेंटर स्थापित किया जाए। ग्राम पंचायत गगवाना के मुख्यालय जोड़ने हेतु ग्राम खेतोलाव तक डामर सड़क का निर्माण किया जाए तथा तीनों गांव की ढाणियों को आपस में जोड़ने के लिए डामर सड़क या ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया जाए। ग्राम पंचायत गगवाना के तीनों गांवों के मुख्यालय पर एक–एक सामुदायिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए। किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु पॉन्ड ग्रीन हाउस व बूंद बूंद सिंचाई हेतु एक काश्तकार को अधिक से अधिक अनुदान दिया जाए। राज्य सरकार की भांति कृषि यंत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जाए। फसलों को बचाने के लिए प्रत्येक खेत के मेडबंदी, तारबंदी कंपनी के द्वारा पूर्ण खर्चे पर किया जाए। कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानो को जैविक खाद व जिप्सम भी अनुदान पर उपलब्ध करावें। ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव व सुरजनियावास, दोनों गांव के मुख्यालय पर बड़ी टंकी का निर्माण करवाए ताकि पेयजल की समस्या का समाधान मिल सके। ग्राम सुरजनियावास की स्कूल में मात्र 11 कक्षा कक्ष हैं जबकि स्कूल 12वीं तक है और ग्राम खेतोलाव में पांच कक्षा कक्ष हैं एवं स्कूल पांचवी तक है, जिनमें से एक–एक ऑफिस है एवं एक–एक आंगनवाड़ी भवन के लिए है, अतः कक्षा कक्ष का निर्माण करवाये एवं पृथक रूप से दोनों गांवों में आंगनबाड़ी भवन बनवाया जाए। किशोरी बालिकाओं हेतु, पिछली सरकार ने उड़ान जैसी महत्वपूर्ण योजना चलाई थी, लेकिन समय पर सामान नहीं मिलता है, इसलिए सेनेटरी नैपकिन भी उपलब्ध करवाये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

श्री सुभाष रावल, ग्राम गगवाना ने कहा कि हमारे मेघवाल समाज के शमशान भूमि के चार दिवारी निर्माण करवा कर पौधारोपण किया जाए एवं पानी की व्यवस्था हेतु टांकें का निर्माण करवाया जाए। मेघवाल समाज के सामुदायिक भवन, जिस पर पूर्व में अतिक्रमण किया गया था, जिसे तहसीलदार जी की मौजूदगी में सरकार की सहायता से हटवाया, जिसके पुनः निर्माण हेतु सहयोग करें।

श्री त्रिलोकचंद, ग्राम हरीमा ने कहा कि एडीएम महोदय आपकी आवाज पर जनता अपने दुख दर्द सुनाने के लिए यहां आई है। मैं एडीएम महोदय को ही विशेष तौर से अपनी बात सुनाना चाहता हूं, क्योंकि प्रदूषण मंडल एवं कंपनी एक ही थाली के चट्टे–बट्टे हैं, उन्हें हम कोई बात कहें या नहीं कहें, उनके लिए कोई औपचारिक नहीं है। हम यह समझते हैं कि जिला प्रशासन हमारे प्रति उत्तरदायी रहेगा, क्योंकि कंपनियों के बहुत सारे कारनामे हमने देखे हैं एवं चल रहे हैं। हम बात करते हैं इस प्लांट की आवश्यकता की, प्रदूषण मंडल के इस पंपलेट में परियोजना की आवश्यकता लिखी है। मैं यह समझता हूं कि इन्हें इस प्लांट की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकी इंटेग्रिटी बहुत डाउटफुल है, अगर इन्हें आवश्यकता होती तो यह मुंडवा वाला प्लांट क्यों बेचते हैं? यह केवल नफा कमाने के लिए आपकी एवं हमारी जमीनें ले रहे हैं, आगे दूसरे कंपनियों को यह बेचेंगे। पहले मुंडवा वाली अडानी को बेच दी, यह सभी चीज आम जनता के सामने हैं। इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, यह केवल नफा कमा रहे हैं, इन्हें जमीन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इन्हें जमीन की आवश्यकता होती तो यह वह प्लांट डेवलप करते ना कि उसे किसी और को बेचते। पूर्व वक्ताओं ने कहा था कि पेयजल की उपलब्धता करवाई जाए, परंतु पेयजल कंपनी के पास भी नहीं है तथा यह ब्लॉक अति दोहन क्षेत्र में आता है, कम्पनी का कहना है कि कंपनी स्वयं वर्षा जल से पानी की व्यवस्था करेगी, पानी तो अब यहां लोगों की टांकों में भी नहीं आ रहा है, तो यहां बरसात का पानी कहां से आएगा? कंपनी द्वारा केवल भ्रमित किया जा रहा है, मैं एडीएम महोदय को इसलिए अवगत करवाना चाहता हूं क्योंकि प्रशासन जनता के प्रति जवाबदार हैं। हम प्रशासन की उपस्थिति में ही यहां आए, वरना कंपनी वाले यहां रोज घूमते हैं। अभी यहां बात चल रही थी कि एक आदमी की साख देखी जाती है, तो अंबुजा के मुख्य संयंत्र के पास के रूपासर, खेण, ईनाणा, डिडिया, भदाणा आदि गांवों की स्कूलों में इन्होंने क्या किया, फिर आप इनसे क्या ही मांग कर रहे हो। आप लोगों के पास जो भी है, वह भी यह ले जायेंगे। आप इनसे मांगते हैं कि हमारे यहां पौधे लगा दें तो आपके गांव में जो पूर्व

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

के प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, वह भी कंपनी समाप्त कर देगी। कम्पनी की कोई इंटेग्रिटी नहीं हैं।

श्री शैतानराम ईनाणियां, ग्राम ईनाणा ने कहा कि एडीएम महोदय कंपनी प्रतिनिधि आपके सामने सरासर झूठ बोल रहे हैं, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। पूर्व में जब ग्राम हरीमा में अंबुजा कंपनी की जनसुनवाई हुई, तो कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा कहा गया था कि हम योग्यता अनुसार रोजगार देंगे। मेरे तीन बेटे इंजीनियर एवं एक बेटी डॉक्टर हैं, मैंने कंपनी से एक नौकरी मांगी थी, इन्होंने वह भी नहीं दी। 2016 में जब रूपासर एवं ईनाणा की जमीन खरीदी गई, उस वक्त कंपनी ने कहा था कि जिसकी भी जमीन गई है, उसके प्रत्येक घर से एक को रोजगार देंगे, जुलाई 2016 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, रूपासर में शिविर आयोजित करके प्रत्येक घर से योग्य एवं नौकरी चाहने वाले बच्चों के डॉक्यूमेंट लिए गए, तब हमने डॉक्यूमेंट दिए थे, आज इनसे पूछा जाए कि उन डॉक्यूमेंट का क्या हुआ, किन लोगों को नौकरी दी गई? जिनकी जमीनें गई उनमें से एक को भी नौकरी नहीं दी गई है। एडीएम महोदय आपके सामने अभी और झूठा वादा कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, जो रोजगार पहले दिया है, वह तो बताएं। हरीमा की पूर्व जनसुनवाई में आप भी उपस्थित थे एवं उस वक्त भी मैंने यह बात कही थीं एवं एक नौकरी मांगी थी तथा मेरी 75 बीघा जमीन कंपनी में गई है। बताया जाए क्यों एक रोजगार भी नहीं दिया जबकि योग्यता में कोई कमी नहीं थी। 3 बच्चे इंजीनियर हैं, नौकरी केवल एक के लिए मांगी थी, किसी को भी दे देते हैं। वायु प्रदूषण की बात करें तो जब कंपनी भट्टी लगाती है, तो क्या उससे वायु प्रदूषण नहीं होता? रूपासर की माइनिंग लीज से तीन–तीन किलोमीटर तक धुल जाती है, जब ट्रकों को रोका जाता है, केवल उस समय थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। लीज एरिया के दो–दो किलोमीटर तक के मकानों में दरारें आ चुकी है तथा सभी टांके टूट गये हैं। आप सभी को पूर्व में भी इस संबंध में अवगत करवाया गया है तथा एसडीएम महोदय ने तहसीलदार जी के नेतृत्व में इसका सर्वे भी करवाया तथा कहा गया कि टांका ठीक करवा दिया जाएगा, परंतु आज तक एक भी टांका ठीक नहीं करवाया गया है, सभी बड़े–बड़े टांकें थे, जो टूट चुके हैं, जिससे पेयजल की समस्या भी रहती है। जिनके जमीन भी नहीं ली, उनको भी यह प्रभावित कर रहे हैं, ब्लास्टिंग से 10–10 किलोमीटर तक कंपन जाता है। कंपनी द्वारा यह कहां जा रहा है कि हम किसी से भी जमीन जबरदस्ती नहीं लेते हैं, तो खसरा नंबर 1942,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

1875, 1882, 1903 एवं 1907, 1912, इन किसानों ने अपनी जमीन नहीं दी, परंतु फिर भी कोर्ट से म्यूटेशन कंपनी के नाम हो गया, ये कैसे हो रहा है?

एडीएम महोदय ने कहा कि कुछ चीजें मुझे भी पता है, लेकिन यह भूमि आवाप्ति का मामला है, लेकिन यहां पर भूमि आवाप्त नहीं हो रही है।

श्री शैतानराम ईनाणियां, ग्राम ईनाणा ने कहा कि हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा है, कम्पनी प्रतिनिधि ही बोल रहे है, कि हम जबदस्ती नहीं करेंगे।

एडीएम महोदय ने कहा कि और कोई व्यक्ति अपनी बात रखना चाहे, तो संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री परमेश्वर चौधरी, ग्राम सरासनी ने कहा कि पूर्व में हमारे गांव की गौचर भूमि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 203, जो खनन क्षेत्र से दूर पिथासिया गांव के पास थी। हमारे गांव की गायें खनन क्षेत्र को पार करके पिथासिया गांव तक नहीं पहुंच सकती है। अतः मेरा आपसे आग्रह है कि गौचर भूमि को गांव में ही जलाशय के पास ही स्थापित कर उसकी किस्म बदली जाये। हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी को नहीं काटा जाना चाहिए, केन्द्र सरकार द्वारा सांगरी को जियो टैक दिया गया है। वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलित है।

श्री सहीराम बाना, ग्राम भदाणा ने कहा कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित चूना पत्थर खदान के संदर्भ में ग्रामों में सामाजिक विकास संबंधी सुझावः ग्राम पंचायत भदाणा को भी सीएसआर एवं सीईआर में सम्मिलित किया जाये। जल संरक्षण के लिए गांव में तालाबों का पुनर्निर्माण व तालाब के पेंदे का निर्माण किया जाये। सार्वजनिक स्थल पर पार्क की व्यवस्था की जाये। कम्पनी किसानों को साथ लेकर, तालमेल बिठा कर उचित मूल्य पर जमीन खरीदें। आसपास के 20 किलोमीटर के दायरें के सभी भदाणा, जिन्दास, हरीमा, गगवाना, पिथासिया, खेतोलाव, डेह, सोमणा, सरासनी आदि सभी गांवों के किसानों को साथ लेकर कम्पनी कार्य करें।

कैप्टन मेघाराम, ग्राम सरासनी ने कहा कि किरपा की ढ़ाणियों से सम्बन्धित निम्न मांगें है– किरपा की ढ़ाणियों में खुर्रा का निर्माण, रोड़ लाईट, स्कूल के

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

बाउण्ड्री, पेड़–पौधा एवं आवश्यक सामान। पीने एवं इस्तेमाल के पानी व्यवस्था तथा शमसान भूमि पर मोक्ष धाम का निर्माण।

श्री अनिल बारूपाल, ग्राम डेह ने कहा कि अंबुजा सीमेंट द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जो रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें बहुत सारे तथ्य छुपाकर जनता के मन में शक का बीज बौ दिया है, कम्पनी की कथनी एवं करनी में बहुत अन्तर हैं। पूर्व में जब मूण्डवा में कम्पनी स्थापित हुई, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात थी, लेकिन आज कितने स्थानीय व्यक्ति वहां काम कर रहे है। आज यहां कम्पनी रिपोर्ट में नाड़े, नाडियां एवं तालाबों की संख्या छुपाने का काम किया है, यहां पेड़–पौधे, वृक्ष व झाडियां, उनकी कौन–कौन सी प्रजातियां है, कौन–कौन से वन्यजीव यहां विचरण करते है, इन सभी में बहुत सारे तथ्य छुपाये गये है। कंपनी द्वारा मुश्किल से 6 नाड़े एवं नडियां बताई है, जबकि इस 10 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 15 बड़े तालाब एवं 20–25 छोटी नड़ियां/नाड़े हैं। इसके अतिरिक्त आपके खनन क्षेत्र में बहुतायात में खेजड़ी है, खेजड़ी कितनी महत्वपूर्ण है यह सभी जानते हैं। खेजड़ी के लिए पूरे राजस्थान में एवं बीकानेर में बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में जनसैलाब खेजड़ी बचाने के लिए बैठा हैं, इस क्षेत्र में एक बीघा में कम से कम 8 से 10 खेजड़ी वृक्ष होते हैं तथा यह ब्लॉक एचपीबी 20 कम से कम 3000 बीघा से ज्यादा है, इससे कितने सारे पेड़ संकट की स्थिति में आ जाएंगे? खेजड़ी राजस्थान के राज्य वृक्ष के साथ--साथ रेगिस्तान का कल्पवृक्ष भी है, खेजड़ी का लुंग पशु चारण के लिए काम आता है, इसकी लकड़ी ईंधन के काम आती है तथा खेजड़ी वृक्ष को हिंदू धर्म में पूज्य माना जाता है। खेजड़ी को जनता से अलग नहीं किया जा सकता, जो व्यक्ति खेती अथवा पशुपालन करता है, उसके लिए खेजड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। खेजड़ी को बचाने के लिए अगर जरूरत पड़े, तो हम यहां भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम में आने वाले बहुत से तथ्य छुपाए गए हैं। कंपनी द्वारा कहां गया है कि इस क्षेत्र में कोई वन्य क्षेत्र नहीं है, जबकि यहां एक बड़ा वन्य क्षेत्र सभी के ध्यान में होगा, पद्मश्री श्री हिम्मताराम जी भाम्भू द्वारा विकसित पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें हजारों की संख्या में पेड़ पौधे मौजूद हैं तथा वन्य जीव भी बहुतायत में है, जो इसी क्षेत्र में विचरण करते हैं। अगर क्षेत्र में खनन किया जाएगा तो वह पशु, पक्षी, जीव कहां जाएंगे? कंपनी द्वारा इन सभी तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई है। मोर, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची प्रथम का वन्य जीव है, उसे कोई

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

नुकसान नहीं पहुंचा सकते तथा कानून में उसके लिए विशेष प्रावधान भी है, अगर उसे नुकसान पहुंचाया जाए अथवा मारा जाए, तो उसके लिए 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। इस पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र में हजारों की संख्या में मोर है जो इन्हीं पेड़ पौधों पर निवास करते हैं, अगर आपने यह क्षेत्र खुर्द–बुर्द कर दिया, तो उनका जीवन संकट की स्थिति में आ जाएगा, जो हम कत्ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव से गांव को जोड़ने वाले गवाई रास्तों को कंपनी अपने उपयोग में नहीं ले सकती, अगर आप खनन के लिए जमीन ले रहे हैं, तो आपको रास्तों के लिए भी जमीन लेनी पड़ेगी। खनन ब्लॉक के अलावा भी अगर इसमें जमीन जाएगी, तो किसानों को मुआवजा मिलेगा तथा किसानों को और फायदा होगा। कंपनी हमें लिखित में देवें कि आप गवाई रास्तों का उपयोग नहीं करोगे, कटाणी रास्तों को बंद करने का प्रयास नहीं करोगे। यहां एक अंबुजा कंपनी, इससे पहले इमामी जो वर्तमान नाम एनयू एवं श्री सीमेंट जो अभी आ रही है, तथा हाल ही में जेएसडब्ल्यू सीमेंट का प्लांट लग रहा है उसने काफी कटाणी रास्तों को बंद करने का काम किया है। यह मुद्दा इससे संबंधित नहीं है, परंतु एडीएम महोदय के ध्यान में लाने के लिए बताना चाहूंगा कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट लिमिटेड का कन्वेयर बेल्ट हरीमा के गवाई कुएं के ऊपर से गुजर रहा है, वहां कटाणी रास्ता है, वहां किसानों को तंग एवं परेशान करके उस जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी द्वारा बताया गया था कि किसानों की सहमति से रेट तय करके जमीन ली जाएगी, परंतु प्रशासन द्वारा जब किसान जमीन देने को सहमत नहीं है तो धारा 88 का डर दिखाकर जबरन जमीन लेने का प्रयास किया जा रहा है, यह अन्याय है, किसानों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखें। प्रस्तावित ब्लॉक के कुल खनन क्षेत्र 547.55 हेक्टर में से 72 हेक्टर चारागाह भूमि है, चारागाह भूमि के बदले अन्य चारागाह भूमि उस क्षेत्र के आसपास ही देवें, ऐसा ना हो कि ऐसी जगह भूमि दे दो, जहां जाने के लिए रास्ता नहीं हो। पुराने समय में लोग अपनी स्वयं इच्छा से गोचर के लिए भूमि छोड़ देते थे एवं अब कंपनियां आई है जिनकी सबसे पहले नजर गोचर भूमि पर जाती है। प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशासन तथा पर्यावरण सुरक्षा की जाएगी के शब्दों तक सीमित रखा जा रहा है, आपकी यह जो जनसुनवाई है इसमें सभी मानकों के अंतर्गत पर्यावरण सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे, यह आश्वासन दिया जा रहा है। खनन में ब्लास्टिंग के दौरान जो डस्ट उड़ेगी उसके प्रति एवं लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कंपनी क्या करेगी उसकी पहले से तैयार कार्य प्रणाली नहीं है। लोगों के स्वास्थ्य की जांच एक बार अभी होनी चाहिए तथा एक खनन के बाद,

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

जिससे खनन के दौरान लोगों के स्वास्थ्य पर कितना दुष्प्रभाव पड़ा स्पष्ट हो जाएगा। इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरण स्वीकृति से पूर्व एक क्षेत्रीय अनुमति अभियान, पब्लिक से डोर टू डोर सर्वे करवाकर कार्य किया जाए तो और अधिक बढ़िया रहेगा, पब्लिक में इन कंपनियों के प्रति और भरोसा होगा। हम इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र के पर्यावरण स्वीकृति की जनसुनवाई में जनता के प्रतिनिधि एडीएम महोदय अथवा जिला प्रशासन की तरफ से उनको मानते हैं, तो जनता की तरफ से इसमें विकास कार्यों हेतु बहुत सारे ज्ञापन आए हैं, उन पर कार्रवाई होगी अथवा नहीं होगी? जिला प्रशासन की तरफ से कंपनी को इनकी रिकमेंडेशन भेजी गई है अथवा नहीं भेजी? इस पर अभी जनता के सामने खुलासा होना चाहिए। ताकि हमें लगे कि जो अभी हमने आपके सामने डिमांड रखी है, वह पूरी भी होगी। कल की जनसुनवाई में भी यह बात आई थी कि कंपनी प्रतिनिधि आज जो बड़े–बड़े वादे कर रहे हैं कल को उन वादों से मुकर गए, तो हम अपनी बात किसे सुना सकते हैं? जिला प्रशासन इन कार्यों की जब रिकमेंडेशन भेजे, तो उसकी एक प्रति अथवा सूचना हमें भी उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हमें भी भरोसा रहे कि जनता के हित में यह सभी कार्य हो रहे है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि जनता ने विकास हेतु जो–जो कागज दिये है, उन विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करवाये, ताकि जनता का विश्वास एवं भरोसा कम्पनी के प्रति, प्रशासन के प्रति बना रहे है। देवासियों की ढ़ाणियां, नायकों की ढ़ाणियां एवं जोगियों की ढ़ाणियां आदि, इनमें एक ढ़ाणियों का समूह होता है, इसमें उनकी खेती की जमीन तथा रहवासी ढ़ाणी भी वहीं है, अगर वह जमीन ले ली जायेगी, तो उनके रहवास पर संकट आ जायेगा, तो उनके पुनर्वास के लिए कम्पनी क्या करेगी? इसके सम्बन्ध में अपनी बात रखें।

एडीएम महोदय ने उपस्थित जन समुह से अपने अन्य कोई सुझाव अथवा शिकायत प्रस्तुत करने हेतु कहा।

श्री रामलाल खोजा, ग्राम पंचायत, डिडिया, ग्राम खेरवाड़ ने कहा कि अभी जिस प्रकार यहां लोगों ने बताया कि खेरवाड़, डिडिया आदि गांवों में विकास कार्य नहीं हुआ, तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का विकास कार्य हो रहा है, ईनाणा व मुंडवा में भी विकास कार्य हुए हैं, हमारे ग्राम खेरवाड़ में दो सीसी रोड, एक ब्लॉक सीसी रोड, दो–तीन तालाबों के सौंदर्यकरण, दो–तीन गार्डन, हाई मास्क लाइट आदि कार्य किए है। यहां यह जो भी बोल रहे हैं वह

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

लोग भी अपने काम करवाते हैं तथा सामने भी आते हैं। हमें अपने सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए कि अपना काम सिस्टम से हो, और काम तो इन्हें करवाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी ही जमीन है, तो हमारे ही पैसे हैं और हमारे लिए ही वापस लगा रहे हैं। क्योंकि हमारी ही जमीन खोदकर यह पैसा कमाएंगे। अंबुजा के विकास की गारंटी है कि यह जो भी काम करवाएंगे, वह काम मजबूती से होगा। इसमें करप्शन का काम बिल्कुल नहीं है। हर एक चीज की फोटोग्राफी होगी। कंपनी विकास तो करवाती ही है, इसी के साथ जनता का भी ध्यान रखना चाहिए तथा किसानों को दबाने का काम भी नहीं करना चाहिए, किसानों के साथ चलकर विकास के काम करने चाहिए।

श्री अनिल बारूपाल, ग्राम डेह ने कहा कि हमें ऐसा अंदेशा है कि कहीं हमारी बात डिलिट अथवा विलोपित नहीं कर दिया जाये, तो उसके हमारी यह मांग रहेगी कि यहां हो रही विडियोग्राफी की एक कॉपी हमारे पेनडाईव में हमें उपलब्ध करवाई जाये।

एडीएम महोदय ने अंबुजा कम्पनी के प्रतिनिधि से आम जन से आये प्रश्नों, सुझावों एवं शिकायतों पर अपनी बात रखने हेतु कहा।

श्री चेतन रावल, यूनिट हेड, अंबुजा सीमेंट ने कहा कि जन समुह द्वारा बहुत अच्छे सुझाव आये है, इनमें एक अच्छी बात यह लगी कि लोगों के पर्यावरण एवं पौधारोपण के बारें में सब के बारें में अच्छे सुझाव आये। सरकार भी एक बार कुछ नया सिखती है, 2025 के दो नोटिफिकेशन आये है। जनसुनवाई में जो भी सुझाव आये है, यह प्रक्रिया कार्यवाही का हिस्सा तो होती ही है, परन्तु पहले इसे ईसी में नहीं लिखा जाता था एवं हमें निर्देशित भी नहीं करते थे। लेकिन अभी जो ईसी आयेगी उसमें सभी चीजें लिख कर आती है, अतः आप निश्चित रहे। अगर आपको कभी लगे कि किसी कार्य में हमने पालना नहीं की है तो हमेशा सरकार रहेगी, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जा सकते है। मैं मेरी तरफ से आश्वासित कर सकता हूं कि हमें जो कार्य करने है, विकास हेतु, पर्यावरण के लिए पौधारोपण आदि। अंबुजा सीमेंट 40 साल से भारत में काम कर रही है, इन 40 सालों में अंबुजा का काम एवं उससे ज्यादा अंबुजा के फाउण्डेशन के काम का नाम है। तो निश्चित रहे जो शंकाऐं आपकों दूसरी कम्पनियों से है, वह हमारे साथ नहीं होगी तथा हम कोशिश करेंगे कि जो भी छोटी–मोटी त्रुटियां रही है, उन पर सुधार करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

एडीएम महोदय ने कहा कि जनता द्वारा अनेकों सुझाव, उनके विचार आये है। कई बार जब हम काम करते है, तो ऋटियां होती है, गलतियां होती है, व्यक्ति गलतियों का पुतला होता है, गलतियों से जो सिखता है, वह इन्सान है, लेकिन जो नहीं सिखता है, उसके इन्सान होने पर संदेह उत्पन्न होता है। अतः हम हमारी पुरानी गलतियों से सीखें एवं अपने किये गये वादें पूरे करें, तो लोग आपकी बात पर यकीन करेंगे। क्योंकि कोई प्लांट केवल 2 साल के लिए नहीं बल्कि 100 साल के लिए स्थापित होते है तथा माईनिंग भी केवल 2 साल नहीं बीसों साल तक होती है, तब जाकर विकास होता है। आप द्वारा इस जन सुनवाई में जो भी बात रखी है, उसकी विडियो रिकॉर्डिंग होती है तथा लिखित में भी रिकॉर्डिंग होती है, जिसकी आप प्रतिलिपि भी ले सकते है। जिसके सम्बन्ध में हमें क्षेत्रीय अधिकारी महोदय अवगत करवायेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने कहा कि आप द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में जो भी सुझाव दिये गये है, वह सभी हमारे द्वारा नोट किये गये है तथा साथ ही इसकी विडियोग्राफी भी करवाई गई है। अगर आपको इसकी विडियोग्राफी अथवा मीनट्स (कार्यवाही विवरण) की कॉपी चाहिए तो सूचना के अधिकार के तहत वह ले सकते है। अगर आप पेनड्राईव देंगे तो पूरा विडियों हम आपको उसमें उपलब्ध करवा देंगे। पूर्व में श्री शैतानराम जी ईनाणियां ने ली है, जो हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई गई है।

एडीएम महोदय द्वारा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि भविष्य में कभी भी आपको जन सुनवाई में आने का मौका मिले, किसी भी कम्पनी के लिए जन सुनवाई हो, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग जन सुनवाई में जरूर आये, क्योंकि जन सुनवाई में आकर जब आप बोलते है, तब वह बात रिकॉर्ड होती है, वह कागजों में भी लिखी जाती है एवं कैमरें में भी हमेशा रहेगी। वह जिम्मेदारी होती है जो भी कम्पनी माईनिंग करती है अथवा ऑक्शन में भाग लेती है, वह प्रतिबद्ध होती है कि जनता की क्या मांग आई। कम्पनी का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व वो निभाना ही पड़ता है, जब नहीं निभायेगी तो यहीं आपकी मांग एवं यह रिकॉर्डिंग ही काम आयेगी। जनता एवं कम्पनी के मध्य की वार्तालाप में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं प्रशासन के व्यक्ति साक्ष्य रहते है, अतः हम आपके साक्षी है। आप सभी

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

से प्राप्त सुझावों से हमें, कम्पनी तथा अन्य कम्पनियों को भी अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन–मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया। अन्त में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई से पूर्व, जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत, ग्रामवासियों व उपस्थित जन–समुह द्वारा लिखित में प्रस्तुत आक्षेप/सुझाव/आपत्ति **परिशिष्ट "स"** पर सलंग्न है।

श्री राजकुमार मीणा,
क्षेत्रीय अधिकारी,
रा.रा.प्र.नि.म., नागौर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
नागौर (राज.)

श्री चंपालाल जीनगर,
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नागौर (राज.)

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र– 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–3.00 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, सरासनी एवं सोमणा, तहसील– डेह एवं नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **06.02.2026,** समयः **सायं 04:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	चम्पालाल जीनगर	ADM	[signature]
2	Rajkumar Meena	R.O. RSPCB, Nagaur	[signature]
3	Chetan Rawal	Unit Head - ACL	[signature]
4	JITENDRA KUMAWAT	HEADMINES - ACL	[signature]
5	Dr. Hari Prasad	Ambuja Cement Mundwa	[signature]
6	Tushar R. Sahoo	Ambuja Cement Ltd.	[signature]
7	Sanjeev kr Singh	ACL	[signature]
8	Rajat	SDO jayal	[signature]
9	Narsingh	TDR Ngs	[signature]
10	Hari Ram saran	ILR Bhadana	[signature]
11	Ravindra	Patwari Harima	[signature]
12	Hemant Kumar	AEE, RSPCB RO Nagaur	[signature]
13	Rajveer Bhakar	G.A.	[signature]
14	Tej Kumar Panday	ACL	[signature]
15	RISHIRAJ SINGH RATHORE	AMBUJA CEMENTS LTD.	[signature]
16	Prashant Ranga	ACF- Mundwa	[signature]
17	Sharwan Kumar	Acl	[signature]
18	K.S. Yadav	J.M. Enviro	[signature]
19	Hansraj Nagaura	RSPCB	[signature]
20	Hari Soni	J.M. EnviroNet Pvt. Ltd.	[signature]
21	Samanya Singh	J.M. Environet Pvt	[signature]
22	GIRISH	Mundwa	[signature]

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र– 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–3.00 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, सरासनी एवं सोमणा, तहसील– डेह एवं नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **06.02.2026,** समयः **सायं 04:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
23.	Dayaram	Sarasani	
24.	Ram Chandra	Sarsani	रामचन्द्र
25.	Shailendra Singh	Sarasani	
26.	Shalendra	Sarasani	Shy
27.	Ganpat	Sarasani	गणपत
28	Ram Chandr	Sarasani	
29.	Suresh	Sarasani	Suresh
30.	~~Deepak~~ Data Singh	Sarasani	उदाराम
31.	Deepak	Sarasani	Deepak
32.	Harender	Palri jodha	Hup
33.	Sharvan Kumar	Mundwa	Sharvan
34.	Pratima Kaushik	Sarasani	Pratima
35.	अन्ना राम	सरासनी	
36.	गणेशाराम	फागली	गणेश
37.	कैलाशचन्द्र	सरासनी	कैलाश चन्द्र
38.	[illegible]	सरासनी	[illegible]
39.	अर्जुनराम	सरासनी	
40.	सुनिता मान्डु	सरासनी	सुनित
41.	करण मान्डु	सरासनी	Karan
42.	रवि नाथ	सरासनी	Ravi
43.	प्रकाश	सरासनी	प्रकाश
44.	राजेश	डेह	राजेश

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र– 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–3.00 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, सरासनी एवं सोमणा, तहसील– डेह एवं नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **06.02.2026,** समयः **सायं 04:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
45.	Praveen Kala	Deh	Pravkala
46.	श्रवण	हरीमा	Chetan
47.	सोना राम	सरासनी	
48.	रामेश्वर	सरासनी	रामे
49.	सुभाष	सरासनी	सुभाष
50.	मूलाराम	सरासनी	मूला
51.	मंजु	सरासनी	
52.	छोटी	सरासनी	
53.	रामचन्द्र	सोमणा	रामे
54.	Suresh	Katiyasan	सुरेश
55	अनुराधा	सिरासनी	
56	जमकू	सरासनी	
57	भावना	सरासनी	
58	प्रकाश डोगीवाल	ग्राम तामणा	प्रकाश
59	मांगीलाल	सोमणा	मांगीलाल
60	सुल्तानसिंह	रवतीलाव	सुल्तानसिंह
61	रामेश्वरलाल	सरासनी	रामेश्वरलाल
62	Maheswar Singh	Jmaira	Mun
63	Mahendra nath	sarasani	Mahendra nath
64	Dheerendra	सरासनी	
65	राजेन्द्र सिंह	सरासनी	
66	भंवर सिंह	"	भंवर

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र– 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–3.00 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, सरासनी एवं सोमणा, तहसील– डेह एवं नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **06.02.2026,** समयः **सायं 04:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
67	भवानी सिंह	सरासनी	[illegible]
68	बाबूलाल	सरासनी	बाबूलाल
69	भंवर सिंह	सरासनी	BSRathore
70	शेरसिंह	सरासनी	शेरसिंह
71	छोटि देवी	सरासनी	
72	संतोष	सरासनी	
73	गीता	सरासनी	गीता
74	शान्ता	सरासनी	
75	गोविंद	सरासनी	गोविन्द
76	प्रेमा राम	सरासनी	प्रेमाराम
77	आईदाराम	सरासनी	आईदानराम
78	दिनेश नाथ	सरासनी	दिनेश नाथ
79	अभिषेक	नागौर	[illegible]
80	[illegible]	सरासनी	[illegible]
81	मूलाराम	सरासनी	मूलाराम
82	अनिल कश्यपाल	डेह	[illegible]
83	[illegible]	हरीमा	[illegible]
84	तेजाराम	डेह	तेजाराम
85	भंवरसिंह	सरासनी	[illegible]
86	नारसिंराम	सोमणा	जानसिंह
87	भीकाराम	सरासनी	भीकाराम
88	मूलाराम	गगवाना	मूलाराम

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र– 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–3.00 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, सरासनी एवं सोमणा, तहसील– डेह एवं नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **06.02.2026,** समयः **सायं 04:00 बजे**

	क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
89	1	Shiv Prasad Gm	Mundwa	
90	2	जयराम नाथ	सरासनी	Jai Ram
91	3	मुन्नानाथ	हरीमा	
92	4	दामोदर प्रसाद सपरवा	थेहरा	Damodar
93	5	राकेश बाना	अठवाणा	
94	6	हरेन्द्र	[illegible]	
95	7	GARIB Ram	inana	
96	8	Bharmal Chowdhary	RoPRese	
97	9	Ramlal	Sarasni	Ramlal
98	10.	Shiv Nath	Sarasani	
99	11	PREM Pal Sharma		
100	12.	Mor Nath	Sarasani	
101	13.	Sugar Nath	Harima	
102	14.	Manaram	Sarsani	ManaRam
103	15.	Kana Ram	Sarsani	
104	16.	Bhawani Singh	Sarasani	
105	17.	Moji Ram	Sarasani	मोजीराम
106	18.	Pratap Ram	Sarasani	प्रतापराम
107	19.	Om Nath	Sarasani	
108	20.	Chain Singh	Sarasani	चैन सिंह
109	21.	Bhavani Singh	Sarasani	भवानी सिंह
110	22.	Sarwan Ram	Sarasani	

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र– 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–3.00 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, सरासनी एवं सोमणा, तहसील– डेह एवं नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **06.02.2026,** समयः **सायं 04:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
111	दिनेश बाजिया	खेतोलाव	दिनेश बाजिया
112	खेतसिंह परिहार	खेतोलाव	K Singh
113	मांगाराम	सरासनी	मांगाराम
114	त्रिलोक नाथ	सरासनी	
115	भरत नाथ	हरीमा	Bharat
116	Kugh	हरीमा	Kugh

उपस्थिति पंजिका

चूना–पत्थर खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जनसुनवाई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है।

चूना–पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर– HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र– 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ–3.00 मिलियन टीपीए, निकट गांव– हरीमा, सरासनी एवं सोमणा, तहसील– डेह एवं नागौर, जिला– नागौर (राज.) में स्थित है।

स्थानः– राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरासनी, तहसील– नागौर, जिला नागौर

दिनाँकः **06.02.2026,** समयः **सायं 04:00 बजे**

क्र.म.	नाम	पता	हस्ताक्षर
117	Shiv Prasad Gaur	Land mundwa	
118	Harsingh Ram	Land Dept	
119	Shiv Yami	land Dept - Mundwa	
120	Ankit Agrawal	Ambuja - Mundwa	
121	DIGVIJAY RAWAT	Ambuja Cement Ltd	
122	Mayur B. Potkatare	Ambuja Cements Ltd	Mayur
123	Dinesh Kumar	PSH mundwa	

आज का राशिफल गुरुवार, 01 जनवरी, 2026

पंडित मुकेश भारद्वाज, ज्योतिर्विद व वास्तुविद्

सूर्यास्त: आज शाम 05:52 बजे | चन्द्रोदय: आज दोपहर 2:39 बजे
सूर्योदय: कल सुबह 07:25 बजे | चन्द्रास्त: आज रात 03:55 बजे

मेष — **उत्साहित और प्रफुल्लित दिखाई देंगे।** व्यवहार और सोच में बदलाव के लिए कृत संकल्पित हो सकते हैं। दिन में कार्य धीमी गति से चलेंगे। मेल मुलाकातों में दिन व्यतीत हो सकता है।

वृषभ — **अच्छे और बुरे सभी तरह के लोगों से मुलाकात होगी।** व्यवहार को संयमित रखना होगा। अति उत्साह से बचें। प्रतियोगिता में आगे रहने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मित्रों की मदद मिलेगी।

मिथुन — **आनंद और प्रेम के साथ सभी चीजों को अनुभव करेंगे।** नए लोगों का साथ जीवन में बदलाव लाएगा। दूर दृष्टि के साथ फैसले लेने होंगे। आर्थिक तौर पर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं।

कर्क — **कार्य कुशलता बढ़ेगी।** जिम्मेदारियां के साथ आनंदित होने के अवसर मिलेंगे। मनोरंजन और पर्यटन के क्षेत्र से जुड़ाव बढ़ने की संभावना है। व्यवसायिक लाभ मिलने की संभावना है।

सिंह — **भावनात्मक तौर पर परिपूर्ण दिखाई देंगे।** सभी का साथ आनंदित करेगा। कार्यों के प्रति रुचि थोड़ी कम रह सकती है। मनोरंजन और मेलजोल में दिन बीतने की संभावना है।

कन्या — **सामूहिक आयोजनों का हिस्सा हो सकते हैं।** निराशा को मन से हटाना होगा। छोटे-छोटे लक्ष्य शीघ्रता से हासिल हो सकते हैं। शेयर बाजार से लाभान्वित होने के योग बन रहे हैं।

तुला — **नई और पुरानी टीम के बीच सही संतुलन बनाने में सफल रहेंगे।** कार्यों को प्रशंसा मिलेगी। सकारात्मक रुख के साथ दिन का आनंद उठाएंगे। धन की उपलब्धता रहेगी।

वृश्चिक — **नए संबंधों में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे।** पुराने अनुभवों का लाभ मिलेगा। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा।

धनु — **आशा और विश्वास से परिपूर्ण दिखाई देंगे।** किसी खास सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं। मेल-जोल बढ़ाने और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

मकर — **निस्वार्थ भाव से सामाजिक गतिविधियों से जुड़ेंगे।** लोगों की प्रशंसा और सम्मान मिलने से प्रसन्न रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। विलासिता पर बचत खर्च हो सकती है।

कुंभ — **व्यवस्थाओं पर नियंत्रण बनाने के लिए मेहनत करेंगे।** राजनीति से जुड़े लोगों को संपर्क बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। किसी खास लक्ष्य की पूर्ति होने के योग बन रहे हैं।

मीन — **कार्य दक्षता बढ़ानी होगी।** साथी कर्मियों की लापरवाही या धीमी प्रगति से कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव रह सकता है। नए संकल्पों को करने और दूर दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का दिन है।

ग्रह-नक्षत्र

शुभ वि. सं:	2082	हिजरी संवत :	1447	ऋतु:	शिशिर ऋतु
संवत्सर का नाम:	सिद्धार्थ	मु.मास:	रज्जब 11	मास:	पौष
शाके संवत:	1947	अयन:	उत्तरायण	पक्ष:	शुक्ल

आज का दिन

गुरुवार, 01 जनवरी, 2026

सूर्योदयकालीन लग्न व ग्रह स्थिति

11 रा	10	9 सू मं शु बु
12 श		8
1	3 गु.	7
2 चं	4	6
		5 के.

श्रेष्ठ चौघड़िया: आज शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 8.38 तक रहेगा। चर का चौघड़िया 11.13 से 12.30 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िए 12.30 से 3.05 तक रहेंगे।

तिथि: त्रयोदशी तिथि रात्रि 10.23 तक होगी, तदुपरांत चतुर्दशी तिथि होगी।

दिशाशूल: आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा।

राहु काल वेला: (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा।

नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र रात्रि 10.48 तक होगा, तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र होगा।

योग: शुभ योग सायं 5.13 तक रहेगा, तदुपरांत शुक्ल योग रहेगा।

करण: कौलव करण दिन 12.05 तक रहेगा, तदुपरांत तैतिल करण रहेगा।

विशिष्ट योग: रवियोग रात्रि 10.48 से प्रारंभ।

व्रत/दिवस विशेष: प्रदोष व्रत, नववर्ष दिवस, ईस्वी सन् 2026 प्रारंभ, रोहिणी व्रत (जैन)।

चंद्रमा: आज संपूर्ण दिन रात्रि वृष राशि में होगा।

आज जन्म लेने वाले बच्चे: आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि वृष होगी। रात्रि 10.48 तक जन्म लेने वाले बच्चों का रोहिणी नक्षत्र होगा, तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र होगा। इन बच्चों का स्वर्ण पाद होगा। इनके प्रथम नामाक्षर वा, वी, वु, वे, वो पर रखे जा सकते हैं। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। वृष राशि में जन्मे बच्चे सौम्य स्वभाव, सहनशील, धैर्यवान, शीतल स्वभाव वाले, कलात्मक, रसिक प्रवृत्ति वाले, तेजस्वी, संघर्षशील, दयालु, कृतज्ञ, ऐश्वर्य युक्त, आभूषण आदि अलंकरण प्रिय होते हैं।

मौसम का मिजाज बदला, दो दिन मूंग खरीद बंद

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

मूण्डवा . मूंग खरीद केंद्र पर गुणवत्ता की जांच करते जीएम व अध्यक्ष।

मूण्डवा. बुधवार को बादलों की आवाजाही रही। शाम होने तक मौसम का मिजाज बदल गया। हल्की बूंदाबांदी से मौसम में ठंडक घुल गई। मूण्डवा में क्रय विक्रय सहकारी समिति के खरीद केंद्र पर दिन भर किसानों की भीड रही। केंद्र के जीएम विजयपाल भाकर व समिति के अध्यक्ष प्रेमसुख कड़वासरा ने मूंग की गुणवत्ता की जांच कर किसान से चर्चा की। अध्यक्ष कड़वासरा ने बताया कि मौसम खराब होने के कारण गुरुवार व शुक्रवार को खरीद केन्द्र पर अवकाश रहेगा। इसलिए एक व दो जनवरी को जारी टोकन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग तुलाई आगामी दिनों में की जाएगी। गौरतलब है कि इस सप्ताह प्रतिदिन सौ किसानों को मूंग तुलवाई के लिए बुलाने के मैसेज जारी हो गए थे। खराब मौसम के कारण सैंकड़ों किसानों को परेशानी नहीं हो इसलिए समिति ने दो दिन अवकाश रखा है।

फसल बीमा राशि समय पर दिलाने की मांग

तरनाऊ. नागौर व डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में किसानों की ओर से ज्ञापन सौपने के बाद बीमा प्रक्रिया शुरू हुई है। किसान एकता संगठन के नानूराम डूडी ने बताया कि बीमा कंपनियां फसल बीमा क्लेम 2023 को समय पर नहीं दे रही हैं। खराब फसल होने के बावजूद कई किसान क्लेम से वंचित रह गए। इस समस्या को लेकर किसानों ने आठ एसडीएम कार्यालयों में ज्ञापन सौंपा था, जिससे बीमा प्रक्रिया शुरू हुई। जानकारी में आया है कि कुछ गांवों में किसानों को केवल 20 प्रतिशत, 28 प्रतिशत या 40 प्रतिशत तक ही बीमा राशि दी जा रही है, जो वास्तविक नुकसान के मुकाबले काफी कम है। डूडी ने बताया कि आगामी दो दिनों में जिला कलक्टर, डीडवाना से मिलकर फसल बीमा में हुई विसंगतियों, उचित और न्यायसंगत बीमा राशि दिलाने और बीमा कंपनियों की मनमानी रोकने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक

बड़ी खाटू कस्बे में काँग्रेस की बैठक में उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता।

बड़ीखाटू @ पत्रिका. कस्बे के मेला मैदान में बुधवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष मोती खान शेरानी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष का सम्मान किया गया। वरिष्ठ कार्यकर्ता जमीर अहमद ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य सभी वर्ग और समुदाय को साथ लेकर चलना है और संगठन की नींव मजबूत करना आवश्यक है। बैठक में पंचायत समिति सदस्य महबूब, वक्फ कमेटी सदर अब्दुल गफूर, समन दीवान, युवा विकास समिति अध्यक्ष कयुम हुसैन, मदरसा फैजूल इस्लाम के अध्यक्ष हाफिज गुलाम दस्तगीर, मईनुदीन कुरैशी, सैयद शौकत अली, अलीमुद्दीन, असलम, शकील अहमद, सफिक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बदला मौसम, कुचेरा में बूंदाबांदी

कुचेरा. नए साल की शुरुआत के साथ मौसम में बदलाव आया। कस्बे में बुधवार शाम को हल्की बूंदाबांदी शुरू होने से किसानों की उम्मीदें बढ गई है। मावठ की वर्षा से अधिकत्तर फसलों में फायदा होगा। हालांकि कुचेरा सहित खजवाना, छीलरा, रूण, इन्दोकली, देशवाल, जनाणा, मिरजास, ढाढरिया कलां में पान मैथी जैसी संवेदनशील फसल को हल्की बारिश या अधिक नमी से नुकसान हो सकता है। खुले मैदान में सुख रहे पान मैथी के पत्तों के भाव गिर जाएंगे, लेकिन सरसों, गेंहू, चना, जीरा, इसबगोल व तारामीरा की फसलों के लिए यह बारिश जीवनदायी होने काका काम करेगी।

जनजीवन की रफ्तार धीमी

बादल छाए रहने के साथ सर्द हवाओं के चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। लोग अलाव तपते नजर आए वहीं पकवानों की दुकान पर भीड़ देखने को मिली। बच्चे सर्दियों की छुट्टियों के मजे कर रहें है। छतों पर पतंगबाजी का दौर चल रहा है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

नववर्ष पर वैंकटेश भगवान का श्रृंगार

मूण्डवा @ पत्रिका. नववर्ष की पूर्व संध्या पर वैंकटेश मंदिर में भगवान का भव्य श्रृंगार किया गया। रत्न जड़ित आभूषणों व फूलों की मालाओं से भक्तों ने भगवान का श्रृंगार किया। साथ ही नववर्ष में सुख समृद्धि की कामना की।

देवरीधाम में सत्संग कल

गोटन @ पत्रिका. शिवनगर में शुक्रवार को देवरी-धाम के पीठाधीश्वर रमैयादास महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन होगा। दरियाव खेजड़ा आश्रम के संत पांचाराम महाराज, त्यागी संत रामप्रकाश महाराज नोखा चांदावता, महंत मागू साहेब भोपालगढ़, युवाचार्य संत रामदास शास्त्री, संत प्रेमदास शास्त्री, महंत भजनदास, संत रामाराम, संत रामवल्लभ, मांगीलाल देवड़ा आकाशवाणी गायक, साध्वी सुखिया बाई रजलानी,भंवर बाईसा पाली सहित विभिन्न पंथ के साधु-संतों का समागम होगा। अमरसिंह बेड़ा व राजू-बेड़ा ने बताया कि इस मौके संतों का बधावणां, गुरु वंदना, मंगलाचरण, भजन-कीर्तन, सत्संग-प्रवचन प्रसादी के कार्यक्रम होंगे।

पौष महोत्सव आज

बुटाटी @ पत्रिका. कस्बे के चारभुजा मंदिर एवं चतुरदास महाराज की तपोभूमि में 1जनवरी को पौष महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम समस्त श्रद्धालुओं के सहयोग से होगा। मुकेश कुमार साद ने बताया कि शाम 7:30 बजे मंदिर परिसर में पौषबड़ा प्रसादी का वितरण होगा। महिला मंडल की ओर से मधुर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम), कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
पॉवर हाउस, आजाद सिनेमा के पास, करणीमार्ग, श्रीगंगानगर-335001
कार्यालय:-0154-2442044, फैक्स:-0154-2442080

क्रमांक :- जोविविनिलि/अधी.अभि./वितरण/गंगा./फा. कार्मिक./प्रे. दिनांक :-

सेवा समाप्ति नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कर्मचारी बिना अवकाश स्वीकृत करवायें, अनाधिकृत रूप से लम्बे समय से सेवा से अनुपस्थित चल रहे है:–

क्र.	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	पद	कार्यालय का नाम
1	श्री सुनील कुमार मोदी	श्री शिव शंकर मोदी	एसएसए–।।	सहा.अभि. (ग्रा.) सूरतगढ़
2	श्री महावीर प्रसाद	श्री खेमराज	एसएसए–।।	सहा.अभि. (वि.) जैतसर
3	श्री योगेश कुमार	श्री विश्मबर दयाल	लाईनमैन–।	सहा.अभि. (वि.) श्रीकरणपुर
4	श्री बलकार सिंह	श्री जगसीर सिंह	टैक्नीशियन–।।	सहा.अभि. (वि.) श्रीकरणपुर

लंबे समय से अनुपस्थित रहने के कारणक इनकी सेवाएं असंतोषजनक पाई गई है, तदानुसार इनकी सेवाएं समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। अतः तकनीकी सेवा नियम 1975 एवं नियुक्ति आदेश मे निर्दिष्ट शर्तो के अनुसार निगम प्रबंधन द्वारा इन्हे अपना पक्ष रखने का अन्तिम मौका इस ज्ञापन के द्वारा दिया जा रहा है।

इस संबंध में कोई भी प्रतिवेदन/पक्ष, यदि कोई हो, तो उक्त नोटिस के प्राप्ति तिथि के 30 दिनों के भीतर कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), जोधपुर डिस्काम, श्रीगंगानगर के कार्यालय में डाक अथवा ईमेल आईडी pojdvvnlsgnr2@gmail.com के माध्यम से प्रस्तुत करे। नियत समयावधि के पश्चात् इस संबध में किसी भी तरह के पत्राचार पर विचार नही किया जायेगा।

यह अंतिम नोटिस है अतः कोई प्रतिवेदन प्राप्त नही होने की स्थिति मे यह मानते हुए कि आपको इस संबध में कोई पक्ष नही रखना हैं, तदानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जावेगी।

कृपया सूचित रहे।

अधीक्षण अभियन्ता (वितरण)
जोधपुर डिस्कॉम, श्रीगंगानगर

राज.संवाद/सी/25/16788

बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6045

फोटो वायरल होने से लोगों में भय

बड़ीखाटू में पैंथर आने की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम

बड़ी खाटू कस्बे के पहाड़ी की तरफ वन विभाग टीम गश्त लगाती हुई।

बड़ी खाटू @ पत्रिका. क्षेत्र में पिछले चार-पांच दिन से सोशल मीडिया पर पैंथर की तस्वीरें वायरल होने के बाद वन विभाग की टीम बड़ी खाटू के पहाड़ी क्षेत्र में जांच करने पहुंची। बताया जाता है कि वायरल तस्वीरें एआई तकनीक से जेनरेट की गई थीं, जिससे ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई। वन विभाग के रेंजर मनोज कुमार मीणा ने क्षेत्र में गश्त करते हुए लोगों से पैंथर के निशान दिखने के बारे में पूछताछ की। ग्रामीणों ने बताया कि मोबाइल पर हर दिन अलग-अलग स्थानों की पैंथर की तस्वीरें सामने आने लोगों में भय व्याप्त है। इस पर रेंजर ने स्पष्ट किया कि ये तस्वीरें एडिटेड और एआई ऐप से बनाई गई हैं इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के डर से लोगों ने सोशल मीडिया से वायरल तस्वीरें हटा दीं। उन्होंने कहा कि वायरल तस्वीरों से डरने की आवश्यकता नहीं है, वन विभाग की सुरक्षा के लिए गश्त जारी है।

घाटे का सौदा बनने लगे खेती और पशुपालन

अधिकांश नलकूप बंद

रियांश्यामदास @ पत्रिका. ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली खेती और पशुपालन आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। मेड़ता उपखंड क्षेत्र में खेत सूख चुके हैं और नलकूप अधिकांश गांवों में बंद हैं। पिछले दो दशकों में भूजल स्तर लगभग एक हज़ार फुट तक गिर गया है। पहले 100 बीघा सिंचित भूमि होती थी, अब 8-10 बीघा ही मुश्किल से सिंचित हो पाती है।

इस दौरान बीज, खाद, कीटनाशक, डीजल, बिजली और मजदूरी की लागत कई गुना बढ़ गई है, जबकि फसलों के दाम लागत के अनुरूप नहीं बढ़े। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट गई है, जिससे उत्पादन अपेक्षित स्तर पर नहीं है। बिचौलियों, भंडारण और विपणन की कमी के कारण किसान अपनी उपज भी कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं।

पशुपालन भी लाभकारी नहीं रहा। चारे, दवाइयां और टीकाकरण महंगे हो गए हैं, जबकि दूध के दाम स्थिर या मामूली बढ़े हैं। छोटे पशुपालक पशुओं की संख्या घटाने या पशुपालन छोड़ने को मजबूर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टिकाऊ, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, लागत घटाना, फसलों के उचित दाम और मजबूत बाजार व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है। पशुपालन के लिए चारा विकास, दूध के वाजिब दाम और सरकारी सहायता भी जरूरी है। किसान इकबाल ने बताया कि जब तक खेती और पशुपालन लाभकारी नहीं होंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर संकट रहेगा।

मेड़ता सिटी मंडी

चमकी मूंग 8000 से 8500, मूंग 5000 से 7650, चना 5000 से 5200, ग्वार 3800 से 6000, जीरा 17000 से 22000, सौंफ 8000 से 9000, तारामीरा 4800 से 5250, असालिया 6000 से 6500, ईसबगोल 10000 से 12800, सिंधीसुआ 7000 से 8450, रायड़ा 6400 (40 प्रतिशत तेल) रुपए प्रति क्विंटल रहे। तेल प्रतिटीन: श्याम एगमार्ग मूंगफली 2750, श्याम रिफाइण्ड 2500, मीरा एगमार्ग मूंगफली 2680, महालक्ष्मी 2680, पॉवरमैन 2540, सुपर पोस्टमैन 2590, भारतमाता मूंगफली 2750, भारत माता तिल्ली 4200, मान्यता मूंगफली 2650, कृष्णा सोयाबीन 2040, फोरच्यून सोया 2250, किंग सोया 2150, धारा 2150 रुपए रहे। घी देशी (15 किलो): पालीवाल 8200, मधुसूदन 9000, रामसन्स 9000, मदर डेयरी 9000 रुपए। पशु आहार (बोरी)- कलश ब्रांड बिनोला खल 1900, भारत माता तिल्ली खल 2350 रुपए।

सर्राफा मेड़ता सिटी

चांदी (999)- 242700, सोना स्टैंडर्स (10 ग्राम) 137300

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB01-प्रस्तावित क्षेत्र - 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, तहसील - नागौर, जिला - नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये हैं।
2. और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाइ की आवश्यकता है।
3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है।
4. और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09. 2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-
   1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4- संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
   2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
   3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
   4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर।
   5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।
   6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर।
   7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
   8. खनिज अभियंता, नागौर।
   9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
   10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर।
   11. तहसीलदार, नागौर।
   12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति - नागौर।
   13. ग्राम पंचायत - सरासनी, तहसील - नागौर, जिला - नागौर।
   14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर जिला नागौर।
6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को प्रातः 09.30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील - नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

Municipal Corporation Alwar (Raj.)

Sr.No./MCA/NIRMAN /2025/ 4041-44 Dt. 24.12.2025

Nit No./44/2025-26 E-Procument Notice Inviting Bid

Bid for civil work of" Various Civil work "at Municipal Corporation Alwar invited for interested bidders up 06.01.2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal(http://sppp.raj.nic.in & www.eproc.rajasthan.gov.in) of the state. The approximate value of the procurement is 352.66 lac

UBN No	TENDER ID
DLB2526WSOB28418	2025_DLB_523198_1
DLB2526WSOB28420	2025_DLB_523200_1
DLB2526WSOB28278	2025_DLB_523205_1
DLB2526WSOB28422	2025_DLB_523210_1
DLB2526WSOB28423	2025_DLB_523215_1
DLB2526WSOB28425	2025_DLB_523220_1
DLB2526WSOB28427	2025_DLB_523226_1
DLB2526WSOB28429	2025_DLB_523234_1
DLB2526WSOB28430	2025_DLB_523241_1
DLB2526WSOB28431	2025_DLB_523248_1
DLB2526WSOB28433	2025_DLB_523253_1
DLB2526WSOB28434	2025_DLB_523260_1
DLB2526WSOB28436	2025_DLB_523267_1
DLB2526WSOB28437	2025_DLB_523273_1

Raj.Samwad/C/25/16841

Commissioner
Municipal Corporation, Alwar

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय
कोटा (राजस्थान)
(नेक A ग्रेड प्राप्त राजकीय विश्वविद्यालय)

महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा का अवसर
(राज्य सरकार द्वारा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत पुनर्भरण)

प्रवेश की अन्तिम तिथि 31 जनवरी 2026

- Master of Arts (in Various Subjects)
- MBA ◆ M.Com ◆ M.Sc. Maths ◆ M.Sc. CS
- B.A. ◆ B.J. ◆ BLIS ◆ DLIS
- DCA (Online) ◆ योग विज्ञान में डिप्लोमा (DYS)
- अन्य डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कार्यक्रम

सेमेस्टर प्रणाली

आन्तरिक गृह कार्य व्यवस्था | पुस्तकें नहीं लेने पर 15% फीस में छूट

एक साथ दो डिग्री मान्य
ई–मित्र के माध्यम से प्रवेश

ऑनलाईन आवेदन हेतु स्केनर

विस्तृत जानकारी हेतु www.vmou.ac.in देखें

राज.संवाद/सी/25/16653

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB07 - प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, [illegible]

[illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB02, -प्रस्तावित क्षेत्र - 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता [illegible]

[illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि चूना - पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB11, - प्रस्तावित क्षेत्र - 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ - 0.125730 मिलियन [illegible]

[illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

[illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

[illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
1st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District - Nagaur 341001
email: rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

[illegible]

भवदीय
(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में ऑन पेपर या फेक फैकल्टी पर अब होगी सख्त कार्रवाई

डॉ. विनोद के. दवे | जोधपुर

शिक्षकों की आधार इनेबल्ड अटेंडेंस लागू करनी होगी

देशभर के आयुष मेडिकल कॉलेजों में ऑन पेपर फैकल्टी या फेक टीचिंग स्टाफ की परंपरा पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) ने कॉलेजों को पत्र भेजकर चेताया है। इसमें शिक्षकों की नियुक्तियों के फर्जीवाड़े के मामले में सख्त कार्रवाई करने और इसके लिए कॉलेज प्रिंसिपल को सीधे जिम्मेदार ठहराने की बात कही है।

एनसीआईएसएम के मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रेसिडेंट डॉ. मुकुल पटेल ने देश के सभी 700 से अधिक आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा व अन्य मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और विभागाध्यक्षों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी कॉलेज में फैकल्टी सदस्य कागजों पर तो मौजूद हैं, लेकिन फिजिकल रूप से अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो यह गंभीर अनैतिकता मानी जाएगी। इससे न केवल छात्रों का अध्ययन-अध्यापन प्रभावित होता है, बल्कि पूरे आयुष शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है।

आयोग ने कॉलेजों को आदेश दिया है कि संस्थान में कार्यरत सभी एकेडमिक स्टाफ की सूची को आधिकारिक नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) को पूरी तरह लागू करने पर बल दिया गया है, जो सीधे आयोग से जुड़ा रहेगा। बता दें कि वर्तमान में देशभर में 700 से ज्यादा आयुष कॉलेज हैं, जहां लगभग दो लाख छात्र अध्ययनरत हैं। लंबे समय से शिकायतें आ रही थीं कि कई कॉलेजों में टीचिंग फैकल्टी और मेडिकल ऑफिसर्स केवल कागजों पर मौजूद रहते हैं। अब एनसीआईएसएम एक्शन मोड में आ गया है।

ऑन पेपर या फेक फैकल्टी जैसी अनियमितताओं के लिए केवल प्रिंसिपल ही नहीं, बल्कि कॉलेज मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है। लाइव अटेंडेंस से सीधे आयोग से जुड़ा होने से पूरी निगरानी संभव हो सकेगी। इससे कॉलेजों में शैक्षणिक गुणात्मक सुधार आएगा। **-डॉ. राकेश पांडेय,** राष्ट्रीय प्रवक्ता, आयुष मेडिकल एसोसिएशन

शिक्षक बीएलओ को आधा दिन स्कूल में पढ़ाना होगा, बकाया कोर्स पूरा कराएं

भास्कर न्यूज | बीकानेर

10वीं -12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है। वही नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू किए जाने के कारण अन्य कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा भी अप्रैल की बजाय मार्च में ही आयोजित की जानी है। वहीं वर्तमान शैक्षणिक सत्र में भी 20 से 22 दिनों की कटौती हुई है। ऐसे में परीक्षा से पहले विद्यार्थियों का बकाया पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने के लिए बीएलओ नियुक्त शिक्षकों को आधा दिन स्कूलों में अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को पढ़ना होगा। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया गया है कि स्कूल में उपस्थिति अवधि के दौरान वह विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य में सक्रिय रूप से योगदान दें ताकि बकाया दिनों में शेष पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाया जा सके। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सतत मॉनिटरिंग की करनी होगी। एजुकेशन सेक्रेटरी कृष्ण कुणाल ने इस संबंध में सभी जिला कलक्टर को पत्र के जरिए अवगत कराया है। विदित रहे है कि एसआईआर के तहत मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का काम 15 जनवरी तक पूरा करना है। बीकानेर जिले में लगभग 1638 बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) नियुक्त हुए हैं जिसमें अधिकांश शिक्षक है।

लूट के माल में गड़बड़ी: जांच में आईओ की रिपोर्ट में रहे झोल पर फोकस

अजमेर | क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में 23 लाख रुपए की लूट के आरोपियों को गिरफ्तार करने और लूट की रकम बरामदगी में गड़बड़ी की विभागीय जांच जारी है। विभागीय तफ्तीश में अनुसंधान अधिकारी (आईओ) की जांच में कहां-कहां पर झोल है, इस पर फोकस किया जा रहा है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक लूट के माल की बरामदगी कम दिखाने को लेकर केवल एएसआई ही संदेह के घेरे में नहीं है, जांच पूरी होने तक कुछ और नाम इसमें जुड़ सकते हैं। जांच टीम इस बिंदु पर भी काम कर रही है कि एएसआई के निलंबित होने के बाद शेष रकम कैसे दस्तयाब हुई?

पुलिस अधिकारी हालांकि ज्यादा कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में कई और पुलिसकर्मियों के नाम शामिल हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल आईओ द्वारा इस मामले में की गई पड़ताल पर ही उठाया गया है।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री घनश्याम शर्मा जी (जैमन)** का स्वर्गवास 30.12.2025 को हो गया है। तीये की बैठक 01.01.2026 को हमारे निवास स्थान 560-नार्थ पवनपुरी, बेनाड रोड, जयपुर पर दोपहर 2 से 3 बजे तक होगी। शोकाकुल :- अनीता (धर्मपत्नी), बसन्तजी, नारायण जी, कन्हैयाजी, जगदीशजी (भाई), निखिल- सारिका (पुत्र- पुत्रवधु), पारुल- नितीशजी (पुत्री- दामाद), रवि, अरुण, अवधेश, ब्रजेश, नीरज, नवीन, प्रवीण, दीपांशु, योगेश (भतीजे) एवं समस्त जैमन परिवार बसवावाले- 9460570046, 9413440110.

OFFICE OF THE DY. CONSERVATOR OF FOREST, WILDLIFE, JAISALMER

No.: F(Store/DCFWL/2025/ Date:

NOTICE INVITING TENDER

Online Bids for Construction works as per below NIT Number under Wildlife Division Jaisalmer are invited from interested bidders 25.12.2025 to 10.01.2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal https://sppp.rajasthan.gov.in of the State.

Tender ID	NIB Code	UBN No.
2025_FORES_523238_1	FOR2526A3080	FOR2526WSOB04159
2025_FORES_524254_1	FOR2526A3135	FOR2526WSOB04256

DY. CONSERVATOR
OF FOREST, WILDLIFE, JAISALMER

प्ररुप–5
(नियम 6(2) देखिये)

प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय नगर पालिका मण्डल मेड़ता सिटी (नागौर) राजस्थान

क्रमांक : न.पा.मे. / 7573 | **लोक सूचना** | दिनांक : 26.12.2025

निम्नलिखित आवेदकों द्वारा नीचे वर्णित भूमि में के अपने अधिकार आवासिय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

पत्रावली सं.	जिले व नगर का नाम	नाम व पता आवेदक का	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम भूमि का क्षेत्रफल (वर्गगज)	पड़ोस द्वारा सीमाबद्ध भूखण्ड सं. उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई व चौड़ाई सहित क्षेत्र.			
				उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
552/ 2023–24	नागौर, मेड़ता	भगवती/श्यामलाल जाति–ब्राह्मण निवासी–मेड़ता सिटी	नेणावतों की पोल, सेवगों का मोहल्ला क्षैत्रफल 42.79 वर्गगज	मकान राजेन्द्र का	निकाल व गली	निकाल व रास्ता	सिरोली दिवार व मकान रामेष्वरलाल
152/ 2025–26	नागौर, मेड़ता	अब्दुल कलाम/ अब्दुल अजीज जाति–मु. पठान निवासी–मेड़ता सिटी	तलहटी मोहल्ला क्षैत्रफल 152.06 वर्गगज	आम रास्ता	मकान गोरधन लाल का	मकान व दुकानें रसीद व कमला की	दुकानें व मकान सकूर का
153/ 2025–26	नागौर, मेड़ता	गोपाल सिंह/शेर सिंह जाति–राजपूत निवासी–जैसास रोहिट	मालियों का मोहल्ला, षिवबाड़ी क्षैत्रफल 223.60 वर्गगज	रास्ता मोहल्ले की	बाउण्ड्री पारीक पाठषाला की	मकान प्रकाष व रामस्वरूप का व रास्ता	गुजर गली व बाउण्ड्री पारीक पाठषाला की
154/ 2025–26	नागौर, मेड़ता	फरीदा परवीन/ शरफराजुदीन जाति–मुसलमानसिपाही निवासी–मेड़ता सिटी	संगम विहार के सामने विष्णु सागर रोड़ क्षैत्रफल 161.52 वर्गगज	निकाल व आम रास्ता	मकान हाजी बषीर का	मकान दौलत खां का	निकाल व आम रास्ता
155/ 2025–26	नागौर, मेड़ता	पुष्पेन्द्र,ओमप्रकाश पिसरान राधाकिषन जाति–माली निवासी–मेड़ता सिटी	चौमुखा महादेव मन्दिर के सामने मालियों का मोहल्ला क्षैत्रफल 198.00 वर्गगज	ईमारत पुखराज की	मकान रामराज व कालूराम का	मकान दुर्गाप्रसाद का	गुजर व आम रास्ता
157/ 2025–26	नागौर, मेड़ता	मुन्नी/गणपत लाल जाति–माली निवासी–मेड़ता सिटी	मालियों के न्याति भवन के पास क्षैत्रफल 103.86 वर्गगज	मकान ओम जी का	बन्द गली	मकान व बाड़ा सुगन जी का	निकाल व आम रास्ता

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम,2009 की धारा 69–क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्रात करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।

उपर्युक्तनियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है ओर मामले का तद्नुसार निपटारा किया जावेगा। यह लोक सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 26.12.2025 को जारी की गयी।

राज.संवाद / सी / 25 / 16813 — प्राधिकृत एवं अधिशाषी अधिकारी

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

क्रमांक. 3329/ न.पा.नि./ लोनिवि / 25-26
अम्बिकापुर दिनांक 26/12/2025

-ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा सूचना :-

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के अधोहस्ताक्षरी द्वारा मद अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सड़क डामरीकरण, सीसी रोड एवं नाला निर्माण कार्यों (कुल 40 कार्य) हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की गई है।

विस्तृत निविदा सूचना छ.ग. शासन के ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in & https://uad.cg.gov.in में देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है।

आयुक्त
पालिक निगम, अम्बिकापुर

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, JANJGIR-NAILA, DISTT-JANJGIR CHAMPA(C.G.)

e-procurement Tender Notice

NIT.NO./2622/PWD/NPP/2025-26 — JANJGIR-NAILA, DATE: 29.12.2025

S. No.	System Tender no.	Name of work/description of work	Probable amount of contract (Lac)
1	182562	Revamping of Material Recovery Facility (MRF) including installation of Machinery and construction of Compost Plant in Municipal Areas of Janjgir Naila Chhattisgarh	172.68

The details can be viewed and download online directly from the government of Chhattisgarh e-procurement portal https://eproc.egstate.gov.in on sub portal of though urban administration and development department https://uad.cg.gov.in for more details on the tender and bidding process you may please visit the above-mentioned portal. The last date of bid submission Date 28.01.2026 Time 5.00 pm.

CHIEF MUNICIPAL OFFICER
MUNICIPAL COUNCIL JANJGIR-NAILA

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- HPB20, प्रस्तावित क्षेत्र- 547.5512 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-3.0 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, सरासनी एवं सोमणा तहसील- डेह एवं नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई की आवश्यकता है। 3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4 जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 9. खनिज अभियंता, नागौर। 10. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 12. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जायल 13. तहसीलदार, नागौर। 14. तहसीलदार, डेह। 15. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 16. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- डेह। 17. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 18. ग्राम पंचायत- सोमणा, तहसील- डेह, जिला- नागौर। 19. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को सायं 04:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी। अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.), फोन: 0141-2722520

क्रमांक:- F6(1)/RSSB/IT/Mou-RISL/2018-19/ — दिनांक: 29.12.2025

विज्ञप्ति

बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली आगामी भर्तियों के ऑनलाइन आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता व भर्ती संबंधी अन्य दस्तावेज एवं प्रविष्टियां भरने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में दिशा निर्देश विज्ञप्ति एवं सहायता दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इन दस्तावेजों का भली प्रकार अध्ययन करने के उपरान्त ही ऑनलाइन आवेदन भरें।

(प्रीति माथुर)
सचिव

DIPR/C/........./2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

क्रमांक:-का/नजारात/2025/1193 — दिनांक : 31.12.2025

-:: ई-निविदा सूचना ::-

राजस्व न्यायालयों हेतु RRCMS प्रोजेक्ट हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर क्रय किये जाने हेतु निविदा जारी की जाती है, जिसे कलेक्ट्रेट, अजमेर की आईडी पर निम्नानुसार देखा जा सकता है।

E-Proc. ID	Sppp UBN No.
2025_DTCAJ_524351_1	CAJ2526GLOB00014

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन) अजमेर

कार्यालय नगरपरिषद, मकराना (डीडवाना-कुचामन)

फोन नं. 01588–240107 फैक्स 01588–240107 ईमेल :- npmakrana@gmail.com

क्रमांक:- न.प.म. / 2025–26 / 4642 — दिनांक :- 22.12.2025

निविदा सूचना 10/2025–26

कार्यालय नगरपरिषद् मकराना द्वारा विकास कार्य के लिए योग्य संवेदकों/फर्मों से निविदा प्रपत्र में ऑफलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है, http://www.sppp.raj.nic.in/ पर NIB NO. DLB2526A9607 के जरिए देखी जा सकती है। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

UBN NO. DLB2526WSOB28744 to DLB2526WSOB28752

राज.संवाद / सी / 25 / 16835 — आयुक्त, नगरपरिषद् मकराना

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पंजी. कार्यालय : पी.एस.ई.बी. मुख्य कार्यालय, द माल, पटियाला-147001)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813 वेबसाइटः www.pspcl.in
संपर्क नंबरः 96461-26075, ईमेल आईडीः manager-scada@pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्या 348/DIT-1122 — दिनांक 31.12.2025

डिप्टी CE/IT (A&PM), ग्राउंड फ्लोर, 7-मंजिला बिल्डिंग, PSPCL हेड ऑफिस, द मॉल, पटियाला, PSPCL के विभिन्न ऑफिसों के लिए डेस्कटॉप PC (टॉवर टाइप), मल्टी-फंक्शनल प्रिंटर (MFP) और UPS की खरीद के लिए शॉर्ट टर्म ओपन ई-टेंडर आमंत्रित करते हैं। विस्तृत NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के लिए कृपया 31.12.2025, दोपहर 12:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः यदि कोई शुद्धिपत्र और परिशिष्ट होगा, तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।

1079/12/2025-26/6637 — C957/25

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, नदबई, भरतपुर

क्रमांक :- एफ ( ) लेखा/मुब्लोशिअनद/2025-26/286 — दिनांक :- 29/12/2025

खुली निविदा सूचना संख्या 01/2025-26

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ 8 (22) आ.प्र.एवं सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2025/राजकाज पत्रांक 18015274 दिनांक 26.09.2025 एवं कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राजस्थान) द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 2673 दिनांक 06.11.2025 द्वारा विद्यालय भवन सामान्य मरम्मत तथा रंग रोगन आदि हेतु जारी स्वीकृति के कार्य हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार के राजकीय/अर्द्धशासकीय/स्वायत्तशासी निकायों में सक्षम श्रेणी में निर्माण कार्यो हेतु पंजीकृत संवेदकों से कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, नदबई भरतपुर में स्थित चयनित विद्यालयों में रंग–रोगन/मरम्मत कार्यो हेतु निविदाऐं दिनांक 30/12/2025 प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 05/01/2026 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बंधित समस्त विवरण बेवसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

NIB Code- EED2526A1136, UBN- EED2526WSOB01442, EED2526WSOB01443 EED2526WSOB01444, EED2526WSOB01447, EED2526WSOB01448 EED2526WSOB01449, EED2526WSOB01450, EED2526WSOB01451 EED2526WSOB01452, EED2526WSOB01453, EED2526WSOB01454 EED2526WSOB01455, EED2526WSOB01456, EED2526WSOB01457 EED2526WSOB01458, EED2526WSOB01459, EED2526WSOB01460 EED2526WSOB01461, EED2526WSOB01462, EED2526WSOB01463 EED2526WSOB01464, EED2526WSOB01465, EED2526WSOB01466 EED2526WSOB01467, EED2526WSOB01468, EED2526WSOB01469 EED2526WSOB01470

राज.संवाद/सी/25/16775 — मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा नदबई, भरतपुर

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(ऑफिसः इंजीनियर-इन-चीफ/ P&M, PSPCL, लुधियाना।)
CIN: U40109PB2010SGC033813 वेबसाइटः www.pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्या 04/CE/P&M/2025-26

EIC/P&M, PSPCL, लुधियाना 66 kV वोल्टेज लेवल पर हॉटलाइन वर्किंग के लिए इंसुलेटेड एरियल वर्क प्लेटफॉर्म और हॉटलाइन टूल्स के निर्माण, टेस्टिंग, सप्लाई और डिलीवरी और हॉटलाइन वर्किंग के लिए मैनपावर प्रदान करने हेतु ई-टेंडर आमंत्रित करता है। विस्तृत NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के लिए कृपया 01.01.2026 को सुबह 10:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएँगे।

1079/12/2025-26/6632 — C954/25

PSPCL पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(कार्यालयः इंजीनियर-इन-चीफ/ P&M, PSPCL, लुधियाना)
कॉर्पोरेट पहचान संख्या : U40109PB2010SGC033813
वेबसाइटः www.pspcl.in

टेंडर पूछताछ संख्या 03/CE/P&M/2025-26

EIC/P&M, PSPCL, लुधियाना हॉटलाइन वाशिंग इक्विपमेंट के निर्माण, परीक्षण, आपूर्ति और डिलीवरी के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करता है। विस्तृत NIT और टेंडर स्पेसिफिकेशन्स के लिए कृपया 01.01.2026 को सुबह 10:00 बजे से https://eproc.punjab.gov.in देखें।

नोटः शुद्धिपत्र और परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो उसे https://eproc.punjab.gov.in पर ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएँगे।

1079/12/2025-26/6640 — C959/25

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB06,प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा,तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति वावत् प्रस्ताव राज्य स्तरीयपर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है।. 3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8. खनिज अभियंता, नागौर। 9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11.तहसीलदार, नागौर। 12.विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील-नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को दोपहर 02:30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB12,_प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8062 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125775 मिलियन TPA, निकट गांव- सरासनी तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में यूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रतावराज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2.और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3. और चुकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4.और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै। . उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 9.खनिज अभियंता, नागौर। 10.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11.उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 12. तहसीलदार, नागौर। 13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 14. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील-नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को दोपहर 01:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/गौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस राम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजरथान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB01, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ-0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा, तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09 2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3.और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूपण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4.और चुकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक 5.उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.खनिज अभियंता, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर 10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11. तहसीलदार, नागौर। 12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को प्रातः 09:30 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील-नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाईस्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमिविकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB11, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8044 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125730 मिलियन TPA, निकट गांव- सरासनी तहसील- नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्तावराज्य स्तरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2.और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3. और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै 5.उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर। 9.खनिज अभियंता, नागौर 10.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर 12. तहसीलदार, नागौर। 13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 14. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 15. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 06.02.2026 को प्रातः 10:00 बजे, स्थान- राजकीयउच्च प्राथमिक विद्यालय सरासनी, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्र लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB02, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.8122 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा,तहसील-नागौर, जिला- नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव राज्य स्तरीयपर्यावरणीय अधिप्रभात आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2.और चुंकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचनादिनांक 14.09.2006 एवं तत्पश्चात् संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3.और चुंकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतुजन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4.और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यकहै। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों परअवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.खनिज अभियंता, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागौर। 11. तहसीलदार, नागौर। 12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राग पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील-नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को दोपहर 12:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथगिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाईस्थल पर उपस्थित होकर अपने लिखित/भौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमिविकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।भवदीय

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

REGIONAL OFFICE RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

.st Floor, Sahkari Bhumi Vikas Bank, College Road, Opposite Police Line, District- Nagaur 341001
email : rorpcb.nagaur@gmail.com
REGISTERED POST/E-MAIL

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि 'चूना-पत्थर खनन परियोजना मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, ब्लॉक नंबर- PSB07, प्रस्तावित क्षेत्र- 4.80 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के साथ- 0.125 मिलियन TPA, निकट गांव- हरीमा,तहसील-नागौर, जिला-नागौर (राज.) में स्थित है, में चूना-पत्थर खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् प्रस्ताव राज्य रतरीय पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन प्राधिकरण, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत किये है। 2. और चुकि मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09 2006 एवं तत्पश्चात् राशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार उक्त खनन परियोजना को पर्यावरणीय रवीकृति हेतु जनसुनवाइ की आवश्यकता है। 3. और चुकि उपरोक्त लीज धारक ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आवेदन किया है। 4. और चुंकि उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार जन सुनवाई हेतु मण्डल द्वारा इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। 5. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं सार रिपोर्ट) निम्नांकित कार्यालयों पर अवलोकनार्थ उपलब्ध हैं :-

1.राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 2.पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर 3.क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 4.जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर। 5.अतिरिवत जिला मजिस्ट्रेट, नागौर। 6.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर। 7.क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 8.खनिज अभियता, नागौर। 9.जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 10.उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नागोर। 11.तहसीलदार, नागौर। 12.विकास अधिकारी, पंचायत समिति- नागौर। 13. ग्राम पंचायत- सरासनी, तहसील- नागौर, जिला- नागौर। 14. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर।

6. उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई दिनांक 05.02.2026 को सायः 04:30 बजे, स्थान- राजकीयउच्च प्राथमिक विद्यालय हरीमा, तहसील- नागौर, जिला नागौर में आयोजित की जायेगी।

अतः सर्वसाधारण को नोटिस के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त दिनांक को प्रस्तावित जन सुनवाई स्थल पर उपरिथत होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में लिखित आक्षेप/सुझाव इससूचना के प्रकाशन की तिथि से जन सुनवाई दिवस तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर में दिये जा सकते हैं।

भवदीय (राजकुमार मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175 — ईमेल : def.ngr. forest @rajasthan. gov.in

क्रमांक : एफ ( ) विविध / उवसं / 2025-26 / 10735 — दिनांक : 29.12.2025

-: नीलामी-सूचना :-

सर्व साधारण एवं लकड़ी व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि इस वन मण्डल अधीन रेंज कार्यालय परबतसर व कुचामन सिटी में जब्त शुद्रा लकड़ी निम्न कार्यक्रम अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी, इच्छुक जी.एस.टी. रजिस्टर्ड व्यक्ति/फर्म निर्धारित तिथि को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते है। नीलाम की जाने वाली जलाऊ लकड़ी का अवलोकन निम्न विवरण अनुसार लकड़ी के स्टॉक स्थान है, नीलाम होने वाली जब्त शुद्रा जलाऊ लकड़ी जहां है जैसी है उसी स्थिति में नीलाम की जायेगी।

क्र. सं.	रेंज का नाम	लकड़ी स्टॉक का स्थान	अनुमानित मात्रा (क्विटल)	अनुमानित राशि/मूल्य	लकड़ी का प्रकार	धरोहर राशि	लकड़ी का निस्तारण/उठाने का समय	लकड़ी नीलामी की बोली लगाने का स्थान/दिनांक व समय
1	परबतसर	नर्सरी खुण्डियास	83.67	37650	सफेदा लकड़ी	3500	10 दिवस	रेंज कार्यालय परबतसर में दिनांक 20.01.2026 समय 12.00 पीएम
			384.07	134425	सफेदा के खड़े पेड़ (कटाई सहित)		05 दिवस	
		रेंज कार्यालय परबतसर	528	158400	पंचमेल जलाऊ लकड़ी	3200		
2	कुचामन सिटी	नर्सरी आंनदपुरा	527.5	158250	पंचमेल जलाऊ लकड़ी	5000	05 दिवस	रेंज कार्यालय कुचामन सिटी में दिनांक 20.01.2026 समय 03.00 पीएम
		नर्सरी मिठड़ी	129	38700				
		नाका मारोठ	155	46500				

नीलामी की शर्ते :-

1. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाताओं का दिनांक 20.01.2026 को उपरोक्तानुसार धरोहर राशि नीलामी तिथि को सुबह 11.00 बजे तक व रेंज कुचामन के लिए दोपहर 02 बजे तक संबंधित रेंज कार्यालय में नकद जमा करानी होगी। धरोहर राशि जमा कराने वाले व्यक्ति ही बोली लगाने के हकदार होंगे। बोलीदाता को जी.एस.टी. पंजीकरण सहित अपने निजी पहचान के दस्तावेज (आधार कार्ड व पेन कार्ड) जमा कराने होगे।
2. अन्तिम बोली की स्वीकृति के लिये निलामी समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
3. सबसे अधिक बोली लगाने वाले के नाम जलाऊ लकड़ी छोड़े जाने की स्वीकृति निलामी समिति द्वारा देने पर सम्बन्धित पार्टी/व्यक्ति को बोली की 25 प्रतिशत राशि उसी समय नकद जमा करानी होगी एवं शेष राशि तीन दिवस की अवधि में डी.डी. द्वारा जमा करानी होगी, अन्यथा जमा राशि जब्त कर पुनः निलामी की जा सकती है।
4. बिना कारण बताये नीलामी को निरस्त/स्थिगित करने का नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
5. सम्पूर्ण राशि नियमानुसार देय टैक्स (टी.सी.एस.) सहित जमा कराने के बाद नीलाम की गई लकड़ी को उपरोक्तानुसार अवधि में उठानी होगी।
6. नर्सरी खुण्डियास में सपेदा के खड़े पेड़ों की कटाई के समय नर्सरी पौधे तैयारी/निर्माण कार्य में कोई नुकसान नहीं करना होगा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विजय शंकर पाण्डेय)
उप वन संरक्षक, नागौर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

क्रमांक/न्याय/ज.सु.2025/976 दिनांकः–06.02.2026

प्रेषितिः–

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागौर।

विषयः– पर्यावरण जनसुनवाई दिनांक 06.02.2026 के दौरान प्राप्त सहमति/सुझाव/आपत्तियां/अनापत्तियां/शिकायतों के संबंध में।

–00–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि M/s Ambuja Cement Limited के ब्लॉक PSB11, PSB 12, & HPB20 के पर्यावरण जनसुनवाई स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरासनी, तहसील नागौर तिथि दिनांक 06.02.2026 हेतु श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय नागौर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को अधिकृत किया गया।

उक्त तीनों ब्लॉकों की पर्यावरण जनसुनवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता को कुल 14 सहमति/सुझाव/ आपत्तियां/अनापत्तियां/शिकायते प्राप्त हुई है जो मूल ही इस पत्र के साथ संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार तीनों ब्लॉकों की कुल 14 मूल सहमति/सुझाव/आपत्तियां/अनापत्तियां/शिकायत–पत्र

06/2/–

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नागौर

RO RSPCB
06/01/2026

(1)

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक 6/2/26

सेवा में,

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियो की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुर्रा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
प.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर
Mob. : 9828897555

क्रमांक दिनांक .....

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओ का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते है

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
प.स.नागौर

टाँका निर्माण

① मुला नायक ① मांगू नायक

② मालू नायक ② अशोक नायक इन्दिरा

③ कालू राम नायक ③ ओमाराम नायक

सी.सी. ब्लॉक निर्माण 1750 वर्गमीटर

सीवरेज लाईन 800 मीटर काम चल रहा है

RSPCB
06/02/2026

(1)

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर
Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक .....

सेवा में,

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियो की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुर्रा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
पं.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक .....

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओ का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते है

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी
पं.स.नागौर

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर

Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक 6/2/25

सेवा में,

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियो की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुर्रा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

Mob. : 9828897555

क्रमांक दिनांक .....

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओ का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते है

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर
Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक .....

सेवा में,

श्रीमान प्रबंधक महोदय जी

श्री अड़ानी सीमेंट /अपर कलेक्टर महोदय

नागौर

विषय :- जनसुनवाई में निम्न मांगों के संबंध में !

महोदय जी आपसे निवेदन है कि हमारे नागौर क्षेत्र में अड़ानी सीमेंट लिमिटेड कंपनी के द्वारा पर्यावरण से संबंधित जन सुनवाई की जा रही है जिसके अंतर्गत प्रभावित ग्राम हरिमा, सरासनी, खेतोलाव, पिथासिया, वे सोमणा आ रहे हैं अतः हम क्षेत्रवासी अपने अधिकारों और हितों की रक्षा हेतु निम्नलिखित मांग आपके समक्ष रखते हैं :-

1. गौशाला संचालन हेतु संपूर्ण सहायता दी जाए!
2. ग्राम पंचायत सरासनी के निवासियो की संपूर्ण चिकित्सा निशुल्क करवाना एवं जिसमें डिस्पेंसरी से लेकर हायर सेंट्रल हॉस्पिटल अस्पताल तक की निशुल्क चिकित्सा इलाज (सरकारी/गैर सरकारी अस्पताल दोनों) करवाया जाए!
3. शिक्षा के लिए सहयोग व मॉडल स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद के लिए प्रमोशन एवं बच्चों के लिए खेल मैदान की पूर्ण व्यवस्था पूर्ण सुविधा के साथ की जावे!
4. ग्राम पंचायत सरासनी में पेयजल हेतु हर घर टांका निर्माण (15000 लिटर क्षमता) का करवाया जाए!
5. ग्राम पंचायत सरासनी में सार्वजनिक सीसी ब्लॉक खुर्रा मय नाली निर्माण सीवरेज निर्माण सीसी रोड मोहल्ले वाईज करवाई जाए !

कार्यालय ग्राम पंचायत सरासनी

बीना कंवर
प्रशासक
ग्राम पंचायत सरासनी

पंचायत समिति – नागौर
Mob. : 9828897555

क्रमांक

दिनांक .....

6. ग्राम पंचायत सरासनी के ग्रामीणों को व्यापार एवं रोजगार ग्राम को प्रथम वरीयता के अनुसार दिया जाए!
7. गांव में धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी में आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए
8. गांव में वृक्षारोपण लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए!
9. गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की सुविधा मोहल्ले वाइज की जावे तथा आमगवाड में एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगवाई जाए!
10. ग्राम पंचायत सरासनी को जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दिया जाए दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधा दी जाए!
11. ग्राम पंचायत सरासनी को अंग्रेजी बबुल मुक्त करवाया जाने में सहायता प्रदान की जाए!
12. ग्राम पंचायत सरासनी के गरीब, विधवा, दिव्यांग व नेत्रहीन परिवारों की आजीविका चलाने के लिए संसाधनों का विकास किया जाए !

प्रस्तावित परियोजना से हमारे गांव का विकास होगा वह प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बंधुओ का जीवन स्तर बढ़ेगा इसी आशा के साथ निवेदन है कि हमारे उपयुक्त मांगे पूर्ण करवाने के महान कृपा करें! हमारा सहयोग सदा बना रहेगा!

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे उपरोक्त मांगों को अति शीघ्र धरातल पर उतरने की कृपा करें!

हमारा सहयोग बना रहेगा हम इसका पूर्णतया समर्थन करते है

S.No. सेवामें,

(प्रार्थना-पत्र)

Date 6-02-2026

RO RSPCB
06/02/2026

श्रीमान A.D.M. साहब व अंबुजा प्रा० लि०
के पदाधिकारी गण

विषय :- ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास हेतु।

मान्यवर जी,
सादर नम्र निवेदन है कि हमारी ग्राम पंचायत सरासनी के निम्नलिखित विकास कार्य करवाने बाबत

1. खेतोलाव से डेह तक डामरीकरण
2. खेजड़ी वृक्ष का उचित मुआवजा देने व खेजड़ी के बदले खेजड़ी का वृक्ष लगाना व पौधा रोपण के लिए चार गुणा वृक्ष लगाना।
3. खेल प्रेमियों के लिए स्टेडियम का निर्माण करवाना।
4. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना।
5. ढाणियों में पेयजल की उचित व्यवस्था करना।
6. स्थानिय युवाओं को रोजगार के नियमित अवसर प्रदान किया जावें।
7. खेतों में निर्माण कार्यों का उचित मुआवजा
8. गौशाला में निर्माण कार्य व टिनशेड का निर्माण करवाना।
9. भूमिहीन परिवारों के बसने के लिए प्लॉट व आवास निर्माण
10. देवासी व कालबेलियों के आवास व अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
11. ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कार्मिक व समुचित संसाधन उपलब्ध करवाना।
12. CSR व CER का पूर्ण फंड ग्राम पंचायत में निवेश करना।
13. गरीब परिवारों के लिए टांका निर्माण व शौचालय का निर्माण करवाना।

Signatory

14. श्मशान भूमि में छातरियों व पौधारोपण करवाना।
15. सरासनी फांटा से ऐबाद डामरीकरण करवाना।
16 DMFT (नागौर) ग्राम पंचायत रे
17. जल निकासी की उचित व्यवस्था
18. पूर्ण खसरा लिया जाये SC+OBC+GEN.
19. जलापूर्ति हेतु टंकी निर्माण कार्य।
20. सरासनी रामदेव जी के मन्दिर से सरासनी फांटा तक सड़क का पूर्न निर्माण व चौड़ाई सुनिश्चित करावें।
21. उच्च अध्ययन हेतु गाँव में पुस्तकालय का निर्माण करवाना।
22. 10 बीघा पर एक टांका स्वीकृत वर्षा जल संग्रहण हेतु 50,000 लीटर तक।
23. प्रत्येक घर पर सोलर ल्हाइट।

रविन्द्र
भेराराम मंगलनाथ केनसिंह
कालुराम शैतानसिंह
भाऊनाथ सतानराम
पृथ्वी सिंह गंगाराम [illegible]
जगदीशसिंह रामेश्वरलाल सुरेन्द्र
गणपत काला भवानीसिंह
रामचंद्र [illegible]
हेमाराम

(3)

मौका-सीमांकन पर्द

आज दिनांक 03-06-2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब नागौर के आदेश क्रमांक 21/20-05-24 की पालना हेतु मय मौतबिरान खसरा नंबर 1272/392 पर पहुँचा। मौके पर 66F की जरीब व खसरे की प्रमाणित शीट की सहायता से सीमांकन किया गया तथा मूल खसरा 392 के निशानात लगावाये गये। सीमांकन कार्यवाही समक्ष मौतबिरान खातेदारान के किया गया। सीमांकन रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई और उपस्थित मौतबिरानो के अंगूठा-दस्तखत करवाये गये।

प्रह्लादनाथ राजाराम पूनाराम प. हीरा

सुरेश नाथ

Ro RSPCB 06/02/2026

श्रीमान कलेक्टर साहब नागौर
मन हरीमा की सरत मर्जी मे
विषय - खसरा नं. 392 व 393 मे सड़क निर्माण हेतु
क.रा.ख.नं. 390 मे यहा खसरा नं. 392 व 393 मे पी डबलुडी का मन मर्जी सड़क निर्माण बंद किया गया है।
प्रह्लादनाथ हरीमा

नकल नक्शा ट्रेस किश्तवार
मौजा - हरीमा
तह - नागौर जिला नागौर
62 [illegible] तरमीम

पैमाना फीट इंच = 40 गट्ठा

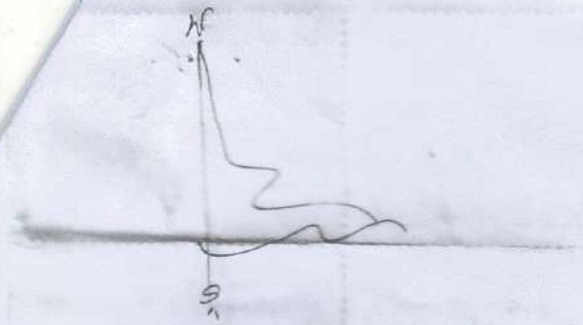

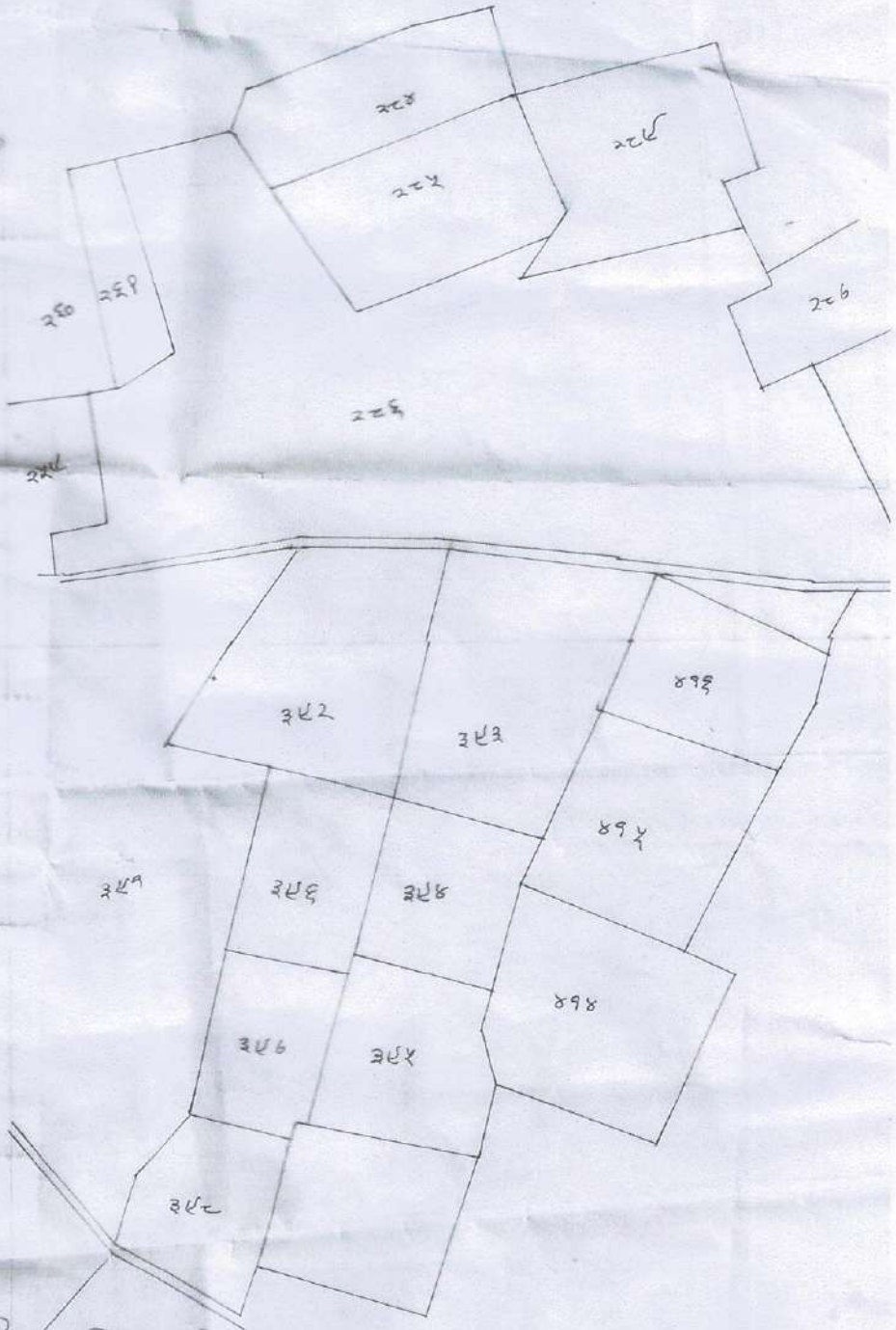

नोट नक्शे में सीमा मिलान है

28/10/16

28/10/16

Ro RSPCB
06/02/2026

(4)

कार्यालय ग्राम पंचायत भदाणा

पं.स. नागौर, जिला-नागौर (राज.)

श्रीमती चन्दा देवी
(सरपंच) (प्रशासक)

ग्राम.पो. भदाणा (बाना का)
जिला-नागौर (राज.)

क्रमांक :

दिनाँक 6/2/2026

सेवा में

अतरिक्त जिला कलेक्टर
नागौर (राज.)

विषय- अंबुजा सीमेन्ट लिमेटेड द्वारा प्रस्तावित चूना पत्थर खदान के संदर्भ में ग्रामो मे सामाजिक विकास संबंधी सुझाव

महोदय,

(1) ग्राम पंचायत भदाणा को पांच लाख पीयायेपज व उनका रख-रखाव केन्सिग, डी गार्ड आदि
(2) जल संरक्षण के लिए गांव में तालाबो का पुनर्निर्माण व तालाब के पैडे का R.C.C निर्माण तालाब का सौंदर्यकरण
(3) गांव में सार्वजनिक स्थान पर पार्क की व्यवस्था
(4) विद्यालय में बच्चो के लिए उच्च शिक्षा के लिए लैब कम्पुयटर व विज्ञान पुस्तकालय आधुनिक स्तरीय युक्त फर्नीचर रूम क्लासरूम
(5) युवाओ को रोजगार नियुक्ति के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे
(6) खेल मैदान का निर्माण करें
(7) उप स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण करे।
(8) ग्राम पंचायत ग्राम भदाणा में सीवरेज लाईन की व्यवस्था की जावे
(9) किसानो को उचित मुआवजा
(10) सरकारी विद्यालयो की शिक्षा का स्तर वृद्धि के संदर्भ में कार्य करो

चन्दा
प्रशासक
ग्राम पंचायत भदाणा
पं.स. नागौर

सेवाम,

RO RSPCB
06/02/2026

श्रीमान अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड,
मारवाड़-मूण्डवा, नागौर

विषय- श्मसान भूमि के चार दिवारी करने बाबत्

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मेघवाल समाज, गगवाना कि श्मसान भूमि के चार दिवारी व पौधा लगवाने का कार्य व मेघवाल ~~समाज~~ समाज के भवन का विस्तार करने बाबत् आप से निवेदन है कि हमारे ग्रामवासी व समाज की आपसे अनुरोध है कि हमारा काम जल्दी करवाने के कष्ट करे। अतः हम सभी ग्रामवासी व समाज अंबुजा सीमेंट्स के आभारी रहेगे

भवदीय

नाम- समस्त समाज व ग्रामवासी
पता VPO- गगवाना

श्यामलाल-9660513186

राजु
गणपत
रामलाल रमेश कवरूराम
पीयूष चिमनाराम कैलाश
सुरजमल राकेश सुरवराम
पांचाराम शेराराम
शंकरलाल
अंगुठा राम
अंगुठा देवराम

सेवा मे,

अंबुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड,
मारवाड़-मूण्डवा, नागौर

RO RSPCB
06/01/2026

विषय -: भेरुजी मन्दिर के चार दीवारी व पानी की टंकी बाबत्

सादर निवेदन है कि हमारे गांव-गगवाना भेरुजी महाराज के मन्दिर के चार दिवारी व एक पानी टंकी और पशु चिकित्सालय में मे पानी का टांका बनवाने का कार्य करवाने कि कृपा करे यह सौबोधानिक कार्य करवाने का कष्ट करे,
अतः आप कि कृपा होगी और गगवाना ग्रामवासी हमेंशा आप का आभारी रहेगा।

भवदीय
समस्त ग्रामवासी
गगवाना

श्यामलाल

पांचाराम शामलाल
चिमनाराम कैलाश गणपत
शंकरलाल रमेश
बीजाराम
जेनाराम
बुधाराम

(1)

RO RSPCB
06/01/2020

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय

नागौर

दिनांक - 6/1/20

- श्रीमान जी ग्राम पंचायत गूगवाना के ग्राम गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास तीनों गांवों को कम्पनी के द्वारा गोद लिया जावे ताकि गांवों का विकास हो सके।
- ग्राम पंचायत गगवाना को वर्ष 2020 में ODF (ओपन डेफिकेशन फ्री - खुले में शौच मुक्त) घोषित कर दिया गया था जबकि हकीकत यह है कि ग्राम पंचायत गगवाना की 80% आबादी खुले में शौच करती है अतः ग्राम - गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करवाया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पीने के स्त्रोत तालाब है जो कम वर्षा होने के कारण कुछ माहों में पानी सूख जाता है जिसके कारण यहां के लोगों को मीठा पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है अतः ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास के प्रत्येक घर हांका (होद) का निर्माण करवाया जाये जिसका सम्पूर्ण रुपया को वहन कम्पनी द्वारा की जावे।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना खेतोलाव व सुरजनियावास के मूल निवासियों को कम्पनी में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाये।
- पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिये ग्राम पंचायत के समस्त गांवों की सड़कों के दोनों ओर व तालाबों विद्यालयों व गोचर भूमि में अधिक से अधिक पौधा रोपण मय सुरक्षा

की जाये। साथ इनका रख रखाव कमसे कम 5 वर्ष तक करे।

शिक्षा

- ग्राम पंचायत गगवाना के समस्त गांवों के समस्त विद्यालयों के विकास हेतु कमरों का निर्माण टेबल-कुर्सी जिन विद्यालयों के चार दीवारी नहीं है उनके चार दीवारी निर्माण, विद्यालयों में पानी-बिजली की समुचित व्यवस्था स्टाफ हेतु ओफिसियल कार्य हेतु टेबल-कुर्सी अलमारी की व्यवस्था मिड डे मिल के लिए राशन स्टोर किचन स्लेब व बर्तन जैसी समस्त उपयोगी व्यवस्था। साथ ही कक्षा कमरो को डिजिटल क्लास कम बनाये।
- विद्यार्थियों हेतु विद्यालयों को आवंटित खेलकूद के मैदानों को विकसित करवाना तथा खेलकूद मैदानों के चार दीवारी का निर्माण करवाना। स्कूल मे टोइलेट का निर्माण करे।

चिकित्सा

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-खेतोलाव की कुल आबादी 1500 से अधिक है जो मजदूरी पर निर्भर है प्राथमिक उपचार हेतु ग्रामवासियों को दूसरे गांवों में जाना पड़ता है अतः ग्राम में "प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र" खोला जाये। तथा नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करे। ANM की व्यवस्थाभी की जावे।
- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम-गगवाना खेतोलाव सुरजनियावास स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक उपचार हेत उपयोग में आने वाले चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की जावे।

बिजली

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम - गगवाना, खेतोलाव व सुरजनियावास के मुख्य स्थानों जैसे विद्यालय उपस्वास्थ्य केन्द्र मन्दिर आम गवाड खेलमैदान इत्यादि मे हाईमास्क लाईटे लगाई जावे।

सिवरेज

- ग्राम पंचायत के तीनों ग्रामों में सिवरेज लाईन डालने का कार्य किया जावे।

पार्क व जिम सेन्टर

- ग्राम पंचायत के ग्राम - खेतोलाव सुरजनियावास व गगवाना के मुख्यालय पर एक-2 पार्क विकसित किया जावे उसमे युवाओं के लिए समन्वित जिम सेन्टर भी स्थापित करे।

सड़कें

- ग्राम पंचायत गगवाना के मुख्यालय जोड़ने हेतु ग्राम - खेतोलाव से गगवाना तक डामर सड़क का निर्माण करवावें। तथा तीनो गांवों की ढाणियों को आपस मे जोड़ने वाले मार्गों का डामर सड़क या ग्रेवल सड़क का निर्माण करवावें। ग्राम पंचायत के तीनों गांवों के आबादी क्षेत्रों मे कीचड़ व जल भराव की समस्या के समाधान हेतु ब्लॉक व नाली सड़कों का निर्माण

सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी

- ग्राम पंचायत गगवाना के तीनो गांवो के मुख्यालय पर एक-2 सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण करावे।

कृषि

- किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु पोण्ड, ग्रीन हाऊस व बूंद-2 सिंचाई हेतु एक काश्तकार को अधिक से अधिक हेक्टेयर पर अनुदान दिया जावें। राज्य सरकार की भांति कृषि यंत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जावें। फसलों के बचाव हेतु मेड़बन्दी तारबन्दी में भी अनुदान दिया जावे ताकि फसल को जंगली सूअरो व आवारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके। कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानो को जैविक खाद व जिप्सम को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जावे।

गौशाला

- गौवंश व आवारा पशु हेतु ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में गौशाला व चारा भण्डारण हेतु कमरों का निर्माण करवाया जावे।

सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी

- ग्राम पंचायत गगवाना के तीनो गांवो के मुख्यालय पर एक-2 सार्वजनिक भवन व लाइब्रेरी का निर्माण करावें।

कृषि

- किसानों के लिए बेहतर फसल उत्पादन हेतु पॉण्ड, ग्रीन हाऊस व बूंद-2 सिंचाई हेतु एक कास्तकार को अधिक से अधिक हेक्टेयर पर अनुदान दिया जावें / राज्य सरकार की भांति कृषि यंत्रों के खरीद पर भी अनुदान दिया जावें / फसलों के बचाव हेतु मेड़बन्दी तारबन्दी में भी अनुदान दिया जावें ताकि फसल को जंगली सूअरों व आवारा पशुओं से सुरक्षा की जा सके / कृषि उपजाऊ भूमि हेतु किसानों को जैविक खाद व जिप्सम को अनुदान पर उपलब्ध करवाया जावें /

गौशाला

- गौवंश व आवारा पशु हेतु ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में गौशाला व चारा भण्डारण हेतु कमरों का निर्माण करवाया जावें /

(5)

दिनेश बाज्या
9001088051

पानी

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव व सुरजनियावास की सरकारी ट्यूबवैल पिछले कई वर्षों से बन्द पड़ी है नई ट्यूबवैल खुदवाकर आमजन व पशुओं के लिए पानी की उचित व्यवस्था की जाये।
- गांवों में जहां-2 GLR नहीं है उन मौहल्लों में GLR का निर्माण करवाकर सरकारी ट्यूबवैल से जोड़ा जाये।
- पशुधन के लिए पानी पीने के लिए खेलियों का निर्माण किया जाये।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ~~क~~ जल संरक्षण व पानी पीने का सबसे बड़ा स्रोत तालाब है तालाबों की सुध लेकर उनके चारों ओर दीवार व पेड़ों का निर्माण करवाया जाये।
- ग्राम खेतोलाव व सुरजनियावास के लिए नहरी पानी हेतु बड़ी टंकी निर्माण करवाया जावे तथा प्रत्येक दोनों गांवों की ढाणियों को नहरी पानी से जोड़ा जाये।

महिला सशक्तिकरण हेतु

- ग्राम पंचायत गगवाना के ग्राम खेतोलाव व सुरजनिवास मे आंगनबाड़ी केन्द्र विद्यालयो में संचालित हो रहे है उनके लिए पृथक रूप से भवनों का निर्माण किया जावे। आंगनबाड़ी केन्द्रो पर महिलाओं हेतु चिकित्सा सुविधा व सेनेटरीनेपकीन (किशोरी बालिकाओं व महिलाओं) उपलब्ध करवाये
- ग्राम गगवाना के आंगनबाड़ी केन्द्र जो जर्जर अवस्था में है उनकी मरम्मत का कार्य करवाया जावे।

(1) सौलर लाईट के लिए 3 किलो वाट पर सरकार 78000 हजार रूपे दे रही हैं मैं अनुरोध करता हूं अम्बुजा फाउंडेशन से कुछ साहायता राशि आप मिलाकर दि जाए इससे किसानों को सुविधा हो सके वे सौलर ज्यादा - ज्यादा लगा पाऐ।

(1)

दिनेश बाघ्वा 9001088051

देवसिंह (7742515124)

गणेशदास

अर्जुन सिंह (9929718442)

नरेन्द्रसिंह (9521419999)

PTO

* स्कूली बच्चों को शैक्षिक भ्रमण कम्पनी से करवाये

* आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी जिन्होंने 75% से ज्यादा अंक प्राप्त किये है उन्हे 12 कक्षा के बाद एक वर्ष की कोचिंग कराने का पूरा वहन करे

RO RSPCB
06/02/2026

(8)

OFFICE: - MAHATMA GANDHI GOVERNMENT SCHOOL, GAGWANA

BLOCK- NAGAUR, DISTRICT -NAGAUR

Shaladarpan NIC ID:- 400048	U-Dise- 08140804604
Dispatcher:- PRINCIPAL Mahatma Gandhi Govt. School Gagwana (Nagaur)	Consignee:- Manager Ambuja Foundation Marwar Mundwa

S.N. :- MGGS/GAGWANA/2025-26/230 Date:-04-02-2026

Subject :- To provide fund for Make a new Water Tank (Tanka) / rooms and sanitary Napkin/ **toilets for girls** and stage for cultural programs.

Sir,

It is our request to you to make/ build a new water tank (टांका) in school.

And Sir, there are insufficient rooms in our school for students to sit proper class wise. And **toilet for girls** is dilapidated.

So, It's our request to you to use CSR fund to make/repair for the same. Our school, specially our students always will remain indebted to you.

PRINCIPAL
MGGS GAGWANA (NAGAUR)
U-DISE - 08140804604

प्रशासक
ग्राम पंचायत गगवाना
पंचायत समिति नागौर

शिक्षा विभाग

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरासनी

पं.स. नागौर, जिला – नागौर (राज.)

प्रेषक :-	प्रेषिति
प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरासनी U-DISE CODE - 08140811902 SCHOOL NIC ID - 219877 RO RSPCB 06/02/2026	श्रीमान् प्रबन्धक अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड

क्रमांक : रा.उ.मा.वि./सरासनी/ 25-26/780

दिनांक 05/02/2026

विषय :- विद्यालय विकास में योगदान हेतु मांग पत्र

इस विद्यालय में निम्नानुसार सामग्री एवं सहयोग की अति आवश्यकता है :

1. भोजनशाला
2. ब्लॉक इन्टर ब्लॉक
3. स्टेज हेतु टीन शेड
4. पार्किंग- व्यवस्था
5. बास्केट बाल ग्राउण्ड
6. चिल्ड्रन ग्राउण्ड प्ले ग्रुप
7. प्ले ग्रुप फर्नीचर (कक्षा 1 से 5)
8. डिजीटल लाइब्रेरी मय फर्नीचर
9. भूगोल एवं विज्ञान प्रयोगशाला
10. छात्राओं के लिए पृथक टॉयलेट, पैड वेडिंग मशीन मय इंसीनरेटर

नरसिंहराम

अध्यक्ष सचिव

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय

सरासनी (नागौर)

कार्यालय ग्राम पंचायत सोमणा

पंचायत समिति, जायल (नागौर)

सरस्वती सोमड़वाल
सरपंच
ग्राम पंचायत, सोमणा

निवास :
श्री मांगीलाल सोमड़वाल, ग्राम - सोमणा,
तह. जायल, जिला - नागौर (राज.) 341022
मो. 9828763425, 9950929758

क्रमांक : 51

दिनांक 6/2/26

RO RSPCB
06/02/2026

लिमिटड कम्पनी

श्रीमान् -
अंबुजा सीमेंट्स
ब्लोक नंबर H.P.B 20
हरीमा, सरासनी एवं सोमणा

विषय - निवेदन है कि हमारी ग्राम पंचायत सोमणा मे सार्वजनिक काम करवाने की बाबत -

(1) सार्व. तालाब या मुख्य नाडी गांव के दक्षिण मे स्थित है जो कि पत्थर होने के कारण खुदाई कार्य।
(2) हमारे गांव मे ग्राम पंचायत कि जमीन मे खेल मैदान करवाने की बाबत।
(3) हमारे गांव मे सार्वजनिक लाईबरी कोपरेटीव सोसायटी मे पानी का होद।
(4) सार्व. सामुदायिक भवन के पास पानी का होद एवं बाथरूम।
(5) सार्व. रास्तो पर खुरा या सी. सी. निर्माण 2 या 3 रास्ते
(6) सार्व. रास्तो पर लाईट लगाना।
(7) गांव मे वृक्षारोपण एवं सोदर्यीकरण किया जाना चाहिए।
(8) खनन क्षेत्र एवं आस-पास के गांवो मे वर्षा संचयन एवं जल संचयन एवं जल संरक्षण के कार्य कराए जाए।
(9) भविष्य मे जल प्रदुषण / कमी की स्थिति मे कंपनी द्वारा स्वच्छ पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अत: महोदय जी से निवदेन है कि हमारी ग्राम पं. सोमणा मे मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड ब्लॉक नं. H.P.B.20 आया हुआ है सार्वजनिक विकास कार्य करवाने की कृपा करे।

सरस्वती
(सरस्वती सोमड़वाल)
प्रशासक
ग्राम पंचायत सोमणा

RO RSPCB
06/04/2016

(1) श्रीमान प्रभारी अधिकारी
पर्यावरणीय जनसुनवाई, प्रशासन कैम्प, सरासनी (नागौर)
(2) श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
जिला प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
नागौर।

विषय:- अम्बुजा सिमेन्ट के ब्लॉक PSB-01, PSB-02, PSB-06, PSB-07 तथा HPB-20 से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज कराने बाबत (PSB-11, PSB-12)

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अम्बुजा सिमेन्ट के प्रस्तावित ब्लॉकों PSB-01, PSB-02, PSB-06, PSB-07 तथा HPB-20 (एच.पी.बी.-20) से सम्बन्धित पर्यावरणीय लोकसुनवाई के सम्बन्ध में हमारी ओर से निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना की रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट द्वारा कई तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया है जिसमें इन्होंने 10 किमी. की रेडियस में केवल 4 बड़ी तथा 2 छोटी नाडियों का जिक्र किया है जो पूर्णतः गलत है जबकि इस क्षेत्र में लगभग 15 बड़ी नाडियाँ/तालाब तथा 20 छोटी नाडियाँ मौजूद हैं, जिनका यहाँ खनन होने से बहाव क्षेत्र पूर्णतया खत्म हो जायेगा।

2. उक्त रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट क. द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थित वन्य जीवों का आँकड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। तथा इनकी संख्या का खुलासा भी नहीं किया गया है इस क्षेत्र में "भारतीय मोर" बहुतायत संख्या में मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। भारतीय मोर को "वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित करते हुए इसे उच्चतम सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत मोर को मारना या नुकसान पहुँचाना या उसका जीवन संकटापन्न की परिस्थितियाँ पैदा करना कानूनन अपराध है जिसमें 7 वर्ष की सजा तक का प्रावधान है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है जिसकी सुरक्षा आवश्यक है

3. उक्त क्षेत्र के पास पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम-हरिमा में स्थित है जिसमें अनुसूची-I के अन्तर्गत आने वाले वन्य जीवों की कई प्रजातियाँ संरक्षित है जो उक्त खनन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से विचरण

PTO

करती है तथा हजारों की संख्या में कई प्रजाति की वनस्पति, पेड़ पौधे मौजूद हैं जिन पर उक्त प्रस्तावित खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण से संकट उत्पन्न होने का पूर्ण खतरा है।

4. अम्बुजा क. के उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खेजड़ी, केर, रोहिड़ा, बबूल तथा अन्य उपयोगी पौधे बहुतायत संख्या में मौजूद है। तथा खेजड़ी राजस्थान का राज्यवृक्ष है जिसे थार का 'कल्पवृक्ष' की संज्ञा दी गई है। इसके पत्ते (लूंग) पशुओं के चारे, फल (सांगरी) - सब्जी और पोषण के लिए, लकड़ी - ईंधन व घरेलू उपयोग के लिए और इसकी छाल व पत्तियाँ औषधीय उपयोग में आती है। तथा सरकार भी समय-समय पर 'खेजड़ी' को बचाने के लिए कार्यक्रम संचालित करती है तथा अभी बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए एक बड़ा जन-आंदोलन चल रहा है लेकिन यहां बहुतायत संख्या में मौजूद 'खेजड़ी' के पेड़ पर, उसके अस्तित्व पर भारी खतरा मंडरा रहा है। इसी प्रकार का खतरा इस क्षेत्र में जन आंदोलन के रूप में पैदा ना हो इसके लिए इस जनसुनवाई के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में लिखित आश्वासन के रूप में दिया जावे।

5. उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र 547.55 हेक्टेयर में से 72 हेक्टेयर-चारागाह तथा 230.87 (दो सौ) हेक्टेयर सरकारी भूमि प्रभावित हो रही है। इस भूमि पर इस क्षेत्र के निवासियों एवं प्रभावित जीवों का प्रथम धारणाधिकार है। गोचर-ओरण भूमि संरक्षण हेतु राज्य में जैसलमेर तनोटराय से जयपुर तक पैदल यात्रा संघर्ष के रूप में जारी है। इस शान्त क्षेत्र में उक्त भूमि का क्षरण कर जन भावना को अनावश्यक रूप से उत्तेजनामय न बनाया जावे इसलिए इस भूमि का उपभोग अधिकार सुरक्षित किया जावे जो प्रशासन द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत हो।

6. उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में प्रचलित आम सुखाचार एवं कराणी उपयोग उपभोग के सरकारी एवं गँवाई रास्तों (गाँव से गांव तक) का पूर्ण संरक्षण व सुरक्षा बहुत ही लाजमी है। इस सम्बन्ध में मात्र मौखिक आश्वासन तक सीमित रखा जा रहा है जिसे जनता के समक्ष लिखित रूप से संरक्षण व सुरक्षा का वचन दिया जावे।

7. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशासन तथा प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा जनता को गुमराह करते हुए मात्र "पर्यावरण सुरक्षा" की जायेगी के शब्दों तक सीमित रखा जा रहा है इसे आम जनता की भागीदारिता के रूप में प्रशासनिक सहमति के रूप

में भाग मानते हुए प्रस्तुत किया जावे।

8. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व एक क्षेत्रिय अनुमति अभियान / सहमति प्रभाव के रूप में आमजनता को समझाते हुए बिना दबाव, बिना प्रभाव बिना हस्तक्षेप के संपादित कर आम जनता की भागीदारिता सुनिश्चित करावे। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है।

9. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला प्रशासन की भागीदारिता से संपादित की जा रही है परन्तु जिला प्रशासन द्वारा इस जनसुनवाई बाबत सघन रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है इसलिए आगामी कार्यवाही जो भी संपादित की जायेगी उस सम्बन्ध में आम जनता को इससे अवगत करवाना सुनिश्चित किया जावे।

10. उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन से उत्पन्न धूल मिट्टी को दबाने एवं अन्य अन्तर्निहित व्यवस्था के लिए 150 किलोलीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता बताई गई है जबकि प्रस्तावित पर्यावरणीय अनुमति से सम्बन्धित क्षेत्र से 'डार्क जोन' प्रभावित क्षेत्र है। अनुजा क. के गत अनुभव यह बताते हैं कि पर्यावरणीय अनुमति के लिए मात्र झूठे आश्वासन के रूप में प्रकट किया जा रहा है, धरातल पर पूर्णत: इसके विपरीत स्थिति है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन धरातलीय कार्यवाही बाबत प्रत्येक बार जनता को सूचित किया जावे।

अत: बिन्दुवार उपरोक्त आपत्तियाँ प्रस्तुत कर निवेदन है कि इनके समाधान के पश्चात एवं समाधान हेतु की गई कार्यवाही से जनता को अवगत कराने के पश्चात ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

सादर।

भवदीय

मालाराम
ग्राम - सरासनी

Dinesh
सरासनी 9524771931

[signature]
9/2/26
(त्रिलोक - चन्द)
ग्राम हरीमा
9460035154

Hanuman Ram
9928150111

[signature]
(अनिल बारूपाल)
mo - 9414269973
ओमप्रकाश सरासनी
9982784044
मूलाराम
सरासनी

(12)

(1) श्रीमान प्रभारी अधिकारी
पर्यावरणीय जनसुनवाई, प्रशासन कैम्प, सरासनी (नागौर)

(2) श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
जिला प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
नागौर।

RO RSPCB
06/03/2006

विषय:- अम्बुजा सिमेन्ट के ब्लॉक PSB-01, PSB-02, PSB-06 PSB-07 तथा HPB-20 से सम्बन्धित पर्यावरणीय प्रभा आंकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना के सम्बन्ध में आपत्ति दर्ज कराने बाबत (PSB-11, PSB-12)

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अम्बुजा सिमेन्ट के प्रस्तावित ब्लॉक PSB-01, PSB-02, PSB-06, PSB-07 तथा HPB-20 (एच.पी.बी.-2 से सम्बन्धित पर्यावरणीय लोकसुनवाई के सम्बन्ध में हमारी ओ से निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना की रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट द्वारा कई तथ्यों को तोड़ मरोड़कर पेश किया है जिसमें इन्होंने 10 किमी. की रेडियस में केवल 4 बड़ी त 2 छोटी नाडियों का जिक्र किया है जो पूर्णत: गलत है जबकि इस क्षेत्र में लगभग 15 बड़ी नाडियाँ/तालाब तथा 20 छोटी नाडियां मौ हैं, जिनका यहाँ खनन होने से बेहाव क्षेत्र पूर्णतया खत्म हो जाये

2. उक्त रिपोर्ट में अम्बुजा सिमेन्ट क. द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थित वन्य जीवों का आँकड़ा तोड़ मरोड़कर पेश किया है। तथा उनकी संख्या का खुलासा भी नहीं किया गया है इस क्षेत्र में 'भारतीय मोर' बहुतायत संख्या में मौजूद हैं जो इस क्षेत्र में स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। भारतीय मोर को 'वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित कर हुए इसे उच्चतम सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अन्तर्गत मोर को मारना या नुकसान पहुँचाना या उसका जीवन संकटापन्न की परि स्थितियाँ पैदा करना कानून अपराध है जिसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है जिसकी सुरक्षा आवश्य

3. उक्त क्षेत्र के पास पर्यावरण प्रशिक्षण केन्द्र ग्राम-हरिमा में स्थि हैं जिसमें अनुसूची-I के अन्तर्गत आने वाले वन्य जीवों की कई प्रजातियाँ संरक्षित हैं जो उक्त खनन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से वि

P

करती है तथा हजारों की संख्या में कई प्रजाति की वनस्पति, पेड़ पौधे मौजूद हैं जिन पर उक्त प्रस्तावित खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण से संकट उत्पन्न होने का पूर्ण खतरा है।

4. अम्बुजा क. के उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खेजड़ी, केर, रोहिड़ा, बबूल तथा अन्य उपयोगी पौधे बहुतायत संख्या में मौजूद है। तथा खेजड़ी राजस्थान का राज्यवृक्ष हैं जिसे थार का 'कल्पवृक्ष' की संज्ञा दी गई है। इसके पत्ते (लूंग) पशुओं के चारे, फल (सांगरी) - सब्जी और पोषण के लिए, लकड़ी - ईंधन व घरेलु उपयोग के लिए और इसकी छाल व पत्तियां औषधीय उपयोग में आती है। तथा सरकार भी समय-समय पर 'खेजड़ी' को बचाने के लिए कार्यक्रम संचालित करती है तथा अभी बीकानेर में खेजड़ी को बचाने के लिए एक बड़ा जन-आंदोलन चल रहा है लेकिन यहां बहुतायत संख्या में मौजूद 'खेजड़ी' के पेड़ पर, उसके अस्तित्व पर भारी खतरा मंडरा रहा है। इसी प्रकार का खतरा इस क्षेत्र में जन आंदोलन के रूप में पैदा ना हो इसके लिए इस जनसुनवाई के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में लिखित आश्वासन के रूप में दिया जावे।

5. उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र 541.55 हेक्टेयर में से 72 हेक्टेयर-धारणाद तथा 230.87 (दो सौ) हेक्टेयर सरकारी भूमि प्रभावित हो रही है। इस भूमि पर इस क्षेत्र के निवासियों एवं प्रभावित व्यक्तियों का प्रथम धारणाधिकार है। गोचर - ओरण भूमि संरक्षण हेतु राज्य में जैसलमेर लोद्रवा से जयपुर तक पैदल यात्रा संघर्ष के रूप में जारी है। इस शान्त क्षेत्र में उक्त भूमि का क्षरण कर जन भावना को अनावश्यक रूप से उत्तेजनामय न बनाया जावे इसलिए इस भूमि का उपभोग अधिकार सुरक्षित किया जावे जो प्रशासन द्वारा लिखित रूप से प्रस्तुत हो।

6. उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में प्रचलित आम सुखाचार एवं करागी उपयोग उपभोग के सरकारी एवं गंवाई रास्तों (गाँव से गांव तक) का पूर्ण संरक्षण व सुरक्षा बहुत ही लाजमी है। इस सम्बन्ध में मात्र मौखिक आश्वासन तक सीमित रखा जा रहा है जिसे जनता के समक्ष लिखित रूप से संरक्षण व सुरक्षा का वचन दिया जावे।

7. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रशासन तथा प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा जनता को गुमराह करते हुए मात्र "पर्यावरण सुरक्षा" की जायेगी के शब्दों तक सीमित रखा जा रहा है इसे आम जनता की भागीदारिता के रूप में प्रशासनिक सहमति के रू

में भाग मानते हुए प्रस्तुत किया जावे।

8. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व एक क्षेत्रिय अनुमति अभियान / सहमति प्रभाव के रूप में आमजनता को समझाते हुए बिना दबाव, बिना प्रभाव बिना हस्तक्षेप के संपादित कर आम जनता की भागीदारिता सुनिश्चित करावें। इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है।

9. इस प्रस्तावित खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वीकृति जन सुनवाई कार्यक्रम में जिला प्रशासन की भागीदारिता से संपादित की जा रही है परन्तु जिला प्रशासन द्वारा इस जनसुनवाई बाबत सघन रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया गया है इसलिए आगामी कार्यवाही जो भी संपादित की जायेगी उस सम्बन्ध में आम जनता को इससे अवगत करवाना सुनिश्चित किया जावे।

10. उक्त प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन से उत्पन्न धूल मिट्टी को दबाने एवं अन्य अन्तर्निहित व्यवस्था के लिए 150 किलोलीटर पानी प्रतिदिन की आवश्यकता बताई गई है जबकि प्रस्तावित पर्यावरणीय अनुमति से सम्बन्धित क्षेत्र से 'डार्क जोन' प्रभावित क्षेत्र है। अनुजा क्र. के गत अनुभव यह बताते हैं कि पर्यावरणीय अनुमति के लिए मात्र झूठे आश्वासन के रूप में प्रकट किया जा रहा है, धरातल पर पूर्ति: इसके विपरीत स्थिति है। इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन धरातली कार्यवाही बाबत प्रत्येक बार जनता को सूचित किया जावे।

अत: बिन्दुवार उपरोक्त आपत्तियाँ प्रस्तुत कर निवेदन है कि इनके समाधान के पश्चात एवं समाधान हेतु की गई कार्यवाही से जनता को अवगत कराने के पश्चात ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव प्रेषित किया जावे।

सादर।

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(अनिल बारुपाल)
मो- 9414269973

प्रह्लादनाथ हरीमा

Dinesh
सालनी
9521771931

(हस्ताक्षर) 7/2/26
(त्रिलोकीनाथ)
ग्राम हरीमा
9460035154

हीराराम करासनी
9079864778

अशोक रासनी
8949154557

ओमप्रकाश
9982786844
सालासनी

(हस्ताक्षर)
प्रेमाराम
रघुरासनी

(13)

सेवामे,

RO RSPCB
06/02/2016

श्रीमान पर्यावरण वन एंव परिवर्तन जलवायु मंत्रालय जयपुर (दिल्ली)
श्रीमान एस०डी०एम० साहब नागौर
श्रीमान अम्बुजा सीमेन्ट कम्पनी

विषय :- अम्बुजा सीमेन्ट की पर्यावरण की स्वीकृति की जनसुनवाई मे ग्राम हरीमा के विकास व पर्यावरण सुधार कार्यों के विषय बाबत-

महोदयजी,

उपरोक्त विषय मे निवेदन है कि हमारे गाँव हरिमा मे अम्बुजा सीमेन्ट कम्पनी के CSR के तहत विकास कार्य व पर्यावरण सुधार कार्य करवाये गांव के विकास मे भागीदारी निभावे आपका आभार होगा।

1. गाँव के जवाई का सौन्दर्यकरण करवावे,
2. गाँव के मुख्य रास्ते पर सीमेन्टी रोड बनवावे
3. गाँव के आम रास्तो पर ब्लोक का निर्माण करवावे,
4. गाँव के गंदे पानी की निकासी की विशेषज्ञो द्वारा व्यवस्था करवावे
5. गांव की नाडी (पोखर) की गोलाकार खुदाई व पक्का नाला करवावे
6. गांव के खुला बड़ा होद की रिपेरिंग करवाकर आवारा व गौशालाओं गायो के लिए पेयजल की व्यवस्था करवावे
7. गांव के स्कूल की सम्पूर्ण रिपेरिंग करवावे लाइब्रेरी सहित।
8. गांव के जवाई मे राहगीरो व ग्रामीणो के लिए पेयजल के लिए प्याऊ बनवावे
9. गांव के शिव मन्दिर की रिपेरिंग व आगे बरामदा बनवावे,
10. गांव के उपस्वास्थ्य केन्द्र बनवावे (हरिपुरा)
11. गांव के नाथ समाज समाधी स्थल (भूमि) खसरा नं.-134 की बाउंड्री का निर्माण करवावे
12. गांव के नाथ समाज समाधी स्थल पर बरामदा 15 X 28 फुट व पानी का होद बनवावे
13. गांव के नाड़ी के आसपास व अंगोर के चारो तरफ पेड़-पौधे लगवावे।
14. गांव के युवा बेरोजगारो को योग्यता के रोजगार उपलब्ध करवावे
15. गांव मे सोलर उर्जा लाईटें लगवावे (70-75)
16. गांव के युवाओं को अम्बुजा फाउंडेशन के कोर्स के बारे मे बताये व कोर्स करवावे।

RO RSPCB
06/02/2016

Date___/___/___

किरपा कि ढाणियों के प्रोजेक्ट

1. किरपा कि ढाणियों मे खुर्रा निर्माण
2. रोड लाईट
3. स्कूल कि चारदीवारी और पेड़ पौधा और निर्माण
4. पानी कि व्यवस्था पीने और इस्तेमाल
5. श्मशान भूमि पर मोक्ष धाम का निर्माण

ग्रामसभा भारद्वाज
ग्रामवासी
Capt. Meghraj

Page No.

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
द्वारा
मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
की
प्रस्तावित सरासनी हरीमा सोमना चूनापत्थर ब्लॉक एचपीबी 20
(ऑक्शन ब्लॉक) (क्षेत्रफल: 547.5512 हैक्टेयर)
चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 3.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना
में आपका हार्दिक स्वागत करता है
अक्षांश: 27.249254
देशान्तर: 73.944483
उन्नयन: 311.42±31.5 m
सटीकता: 35.55 m
समय: 03-02-2026 13:06
Powered by NoteCam

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
अक्षांश: 27.262218
देशान्तर: 73.857457
उन्नयन: 303.08±44.7 m
सटीकता: 12.1 m
समय: 03-02-2026 16:23

सामग्री
अक्षांश: 27.254508
देशान्तर: 73.948802
उन्नयन: 310.01±49.5 m
सटीकता: 12.0 m
समय: 03-02-2026 12:43
Powered by NoteCam

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
अक्षांश: 27.262346
देशान्तर: 73.857707
उन्नयन: 302.98±24.0 m
सटीकता: 407.2 m
समय: 03-02-2026 16:22
Powered by NoteCam

जिला नागौर (राज.)
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
मैसर्स अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड
अक्षांश: 27.264867
देशान्तर: 73.85863
उन्नयन: 302.88±42.4 m
सटीकता: 400.0 m
समय: 03-02-2026 16:13
Powered by NoteCam

शिव साउण्ड मुण्डवा

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
द्वारा
मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड
को
प्रस्तावित सरासनी हरीमा सोमना चूनापत्थर ब्लॉक एचपीबी 20
(ऑक्शन ब्लॉक) (क्षेत्रफल: 547.5512 हैक्टेयर)
चूनापत्थर उत्पादन क्षमता 3.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना

शिव
3
मृण्डवा
शिव
4
मृण्डवा

शिव
साउण्ड
मण्डवा

शिव
साउण्ड
मण्डवा

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
द्वारा
मैसर्स अम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड
सोमना चूनापत्थर ब्लॉक एचपीबी 2
547.5512 हैक्टेयर)
प्रतिवर्ष की स्थापना

शिव साउण्ड मुण्डवा